



RNT Journal of

Social Science & Humanities

Vol.:1, No.: 1, January, 2021

ISSN : 2456-9720

RNT (Ravindra Nath Tagore) P.G. College

Kapasan, Chittorgarh (Raj.)

Email : rntkapasan1@gmail.com

RNT Journal of
**Social Science
& Humanities**

Vol.:1, No.: 1, January, 2021

ISSN : 2456-9720

RNT (Ravindra Nath Tagore) P.G. College
Kapasana, Chittorgarh (Raj.)
Email : rntkapsana1@gmail.com

रविन्द्रनाथ टेगोर सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पत्रिका

मुख्य सम्पादक

डॉ. वसीम खान

निदेशक आर.एन.टी.ग्रुप ऑफ कॉलेजस्

सम्पादक मण्डल (समिति)

प्रो. एस.एन.शर्मा, अकादमिक निदेशक (मो.9640706740)

प्रो. एस.एन.ए. जाफरी अधिष्ठाता, वरिष्ठ सलाहकार शोध एवं प्रोजेक्ट (मो. 9983505675)

डॉ. अफसार अली प्राचार्य (मो. 807683946)

डॉ. मधु कुमावत प्राचार्या (मो. 8239589903)

डॉ. ओमप्रकाश सुखवाल उपाचार्य सलाहकार समिति (मो. 9460040448)

प्रो. पल्लव नन्दवाना (दिल्ली विश्वविद्यालय)

प्रो. एच.एल.चन्डालिया (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

प्रो. ए.पी.दुवे (सागर विश्वविद्यालय), मध्यप्रदेश

प्रो. अमिता सोलकी (बी.एम.एल.बी विश्वविद्यालय), गाजियाबाद

प्रो. संजय लोढा (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

प्रो. अमीर रियाज (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), उत्तर प्रदेश

प्रो. इशाक मोहम्मद कायम खानी (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

प्रो. जे.के. ओझा (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

प्रो. सरवत निशा खान (मीरा गर्ल्स विद्यालय), उदयपुर

प्रो. के.एस.गुप्ता (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

प्रो. माताप्रसाद (जे.आर.आर.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर)

प्रो. एम.एन.अंसारी (यु.जी.सी. सदस्य)

पत्रिका के बारे में

रविन्द्रनाथ टैगोर सामाजिक विज्ञान व मानविकी एक षट्मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न शोध कार्यों व नवाचारों से सुधीपाठकों को अवगत कराना है। शिक्षा जगत में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर वैचारिक आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

शिक्षा के क्षेत्र में सफल नेतृत्व हेतु प्राचार्यों को दूरदर्शा, लोकतात्रिक, उत्साही, ईमानदार, न्यायप्रिय, साहसिक, सवेदनशील, सेवाभावी, निरहकारी व चरित्रवान बनाने जैसे गुणों को विकसित करते हुए टीम भावना से कार्य कराना भी इस पत्रिका का उद्देश्य है।

आर.एन.टी. टीम के सदस्यों में निष्ठा व लगन जगाने के लिए प्रभावी संचार माध्यमों की उपादेयता की जानकारी कराना भी इस पत्रिका का एक उद्देश्य है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं इसलिए इस में संपादक मण्डल व महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इन शोध आलेखों का बिना पूर्व अनुमति के पुनर्मुद्रण मान्य नहीं होगा।

अनुक्रमणिका

1.	चंदबरदायी - एक राव (भट्ट) योद्धा अरविंद राव	1
2.	भारत में बढ़ता लिंगभेद मानवीय सभ्यता के लिए घातक है। हीरालाल अहीर	5
3.	हिन्दी शिक्षण में प्रदत्त कार्य मधु कुमावत	8
4.	मानव विकास सूचकांक में भारत ओम प्रकाश सुखवाल	12
5.	भारत में भाषा नीति: समस्या एवं समाधान पिन्दु शर्मा	16
6.	आधुनिक हिन्दी कृष्णकाव्य में कृष्ण का बदलता स्वरूप सरिता वैष्णव	22
7.	आधुनिक प्रदूषण शिव नारायण शर्मा	25
8.	नई शिक्षा नीति में डिजिटल स्वरूप लेती हिन्दी एवं सम्भावनाएं श्रवण कुमार शर्मा, नीलम शर्मा	30
9.	आधुनिकता के दर्पण में खोता हुआ बचपन यासमीन	33

चंदबरदायी - एक राव (भट्ट) योद्धा

अरविंद राव

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

चंदबरदाई के जीवन चरित्र पर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग विचार प्रकट किए। चंदबरदाई की जन्मस्थली सारह यानी पंजाब प्रदेश है। तथा सार अर्थात् शक्ति के पुत्र होने से वे अपने आपको सारह गोत्र का बताते हैं राजस्थान के अजमेर में गुरु प्रसाद से इन्होंने छंद, भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, ब्रजभाषा, शौरसेनी अथवा मगधी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सम्राट चौहान के दरबारी महाकवि चंदबरदाई का मूल नाम पृथ्वी चंद था। जिसका प्रमाण जयानक भट्ट (राव) कृत पृथ्वीराज विजय के विजय सर 11 श्लोक संख्या 62 से प्राप्त होता है। हमारी मातृभाषा प्रारंभिक हिंदी के जनक एवं प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता महाकवि चंदबरदाई का संपूर्ण जीवन वीरता, साहस, भक्ति, साधना एवं राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण ज्वलंत प्रेरणास्पद है। प्रस्तुत शोध में चंदबरदाई के कवि होने के साथ अन्य कई विशेषताओं से अवगत किया है। पृथ्वीराज चौहान के परम सखा, सलाहकार, सामंत, राजकवि चंदबरदाई ने अपनी प्रतिभा के बल पर ज्वाला देश की जागीर प्राप्त कर भट्ट के स्थान पर राव या राजा की उपाधि प्राप्त की। चंदबरदाई माता ज्वाला देवी के परम भक्त थे। इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में स्थान स्थान पर अपने काव्य की तुलना महाभारत से की। इन्हें द्वितीय वेदव्यास भी कहा जाता है। भैरव बेताल सहित 52 वीरो की उपासना की, इसके बल पर पृथ्वीराज चौहान ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की।

जीवन परिचय

चंदबरदायी के जीवन चरित्र पर भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अलग-अलग विचार प्रकट किये जैसे बलभद्र विलास नामक ग्रंथ में सवत् 1132 (माघ शुक्ल त्रयोदशी), भारतीय विद्या भवन, बंबई से आचार्य जिन विजय मुनि सम्पादित पुरातन प्रबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिन्दी साहित्य का इतिहास, जयानक भट्ट कृत पृथ्वी राज विजय जैसे इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथों में से यह प्रसंग महाभारत के द्रोपदी के चीर जैसा बनकर रह गया है। जबकि चंदबरदायी भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि, लेखक, परम सखा और भट्ट योद्धा के नाम से भारतीय इतिहास में सर्व परिचित है।

चंदबरदायी ने स्वयं के जन्म काल, स्थान के विषय में पृथ्वी राज रासो के प्रथम भाग में लिखा है—

जिह जोति कवि चंद, रूप संजोगि भोगि भ्रम।
इक दीह उत्पन्न, इक दीहे समाय क्रम
ज्यौ भयौ जनम कवि चंद को, भयौ जनम सामंत तक
इकथान मरन जनमह सुइक, चाहि किकि ससि लंगिरब।

रासौ के इस छंद कि पक्तियों के अनुसार कवि का कहना है कि जीवन ज्योति को रूप रंग के आधार पर भ्रम में भोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद और पृथ्वी दोनों एक ही दिन जन्में और दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई। जो जन्म दिवस चंद का वो ही राजा (पृथ्वी) का भी है। दानों ने एक ही स्थान पर एक दूसरे को गले लगाकर कटार घोंप कर स्वयं की इहलीला समाप्त कर ली।

पृथ्वीराज रासो के प्रथम समय (सर्ग रासौ के भाग को समय कहा जाता है।) की छंद संख्या 694 के अनुसार—

एकादस से पंद्रह, विक्रम साक आनन्द।
तिहि रिपु जयपुर हरन कौ भय पृथिराज नरिन्द ॥

अर्थात् 1115+91=1206 को पृथ्वीराज व चंद का जन्म हुआ। जिसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्करण में भी स्वीकार किया है।

महाकवि चंदबरदाई ब्रह्मा जी के यज्ञ कूंड में दी गई आहुतियों की भभकार से उत्पन्न हुवे, भट्ट ऋषि के वंश में उत्पन्न हुवे हैं।

यजुर्वेद के 31 वें अध्याय में हुए। भट्ट ऋषि की सतति ब्रह्मभट्ट मानी जाती है। कवि भट्ट जाति जो वर्तमान समय में राव जाति कहलाती है। कवि चंदबरदायी के दूसरे महाकवियों की भांति स्वरचित ग्रंथ पृथ्वी राज रासौ में लिखा है कि—

भट्ट जाति कवियन नृपनि, नाथ नाम मोचंद उप्पम चंद
सारह कहिये।

अर्थात् चंदबरदायी की जन्म स्थली सारह यानी पंजाब प्रदेश होने तथा सार अर्थात् शक्ति के पुत्र होने से वे अपने आप को सारह गोत्र का बताते हैं।

रासौ भाग (समय) -2 के पृष्ठ स. 1269 पर देवी वचन से कहा कि—

“सु कवि सो सरस्वती कहै, मौ तो अन्तर नाहिं।” में इस कथन की पुष्टि होती है।

कवि चंद ने अपने ग्रंथ रासौ में अपने माता-पिता की कोई जानकारी प्रदान नहीं की है, परन्तु चंदबरदाई के माता-पिता का नाम कल्पित रूप में वेदन और कमला बताया जाता है। और पृथ्वीराज रासौ तथा पृथ्वीराज विजय के आधार पर वेनराव को चंद का पिता सिद्ध किया जाता है। (भसीन, 2016)

बचपन व शिक्षा—दीक्षा

राजस्थान के अजमेर में गुरुप्रसाद से इन्होंने षट भाषा—संस्कृत, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, पैशाची—ब्रज भाषा, शौर—सैनी अथवा मागधी भाषाओं का गुरु प्रसाद से ज्ञान प्राप्त किया। (राव, 2016)

प्राकृत भाषा- भारतीय इतिहास के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएँ विकसित हुईं उन्हें सामान्यः प्राकृत भाषा कहा जाता है।

अपभ्रंश- आधुनिक भाषाओं के उदय के पूर्व बोलचाल और साहित्य रचना की भाषा, अर्थात् व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है।

पैशाची- पैशाची भाषा प्राकृत का ही नाम है जो प्राचीन काल में पश्चिमोत्तर प्रदेश में चलती थी जो पश्तों व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से उत्पन्न हुई है। चन्दबरदायी की शिक्षा दीक्षा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुई तथा लालन पालन भी दोनों का एक साथ हुआ। दोनों के एक साथ रहने से दोनों ही बाल्यावस्था से मित्रता के धागे में बंध गये जो मृत्यु तक बना रहा।

विवाह- चन्दबरदायी के विवाह के बारे में विभिन्न विद्वान एक मत नहीं हैं, परन्तु पृथ्वी राज रासौ ग्रन्थ में संकेत अवश्य प्राप्त होता है, चंद की दो पत्नियों कमला और गौरान थी, जिनके 10 बेटे-सुर, सुदर, सुजान, जालहान, अल्लह, बलभद्र, केहारी, वीरचंद, अवदूत, और गुनाराज और एक बेटी राजबाई थी। (राव, 2016)

सम्राट चौहान के दरबारी के रूप में (युवावस्था)- महाकवि चन्दबरदायी का मूल नाम 'पृथ्वीचंद' था। जिसका प्रमाण जयानक भट्ट (राव) कृत पृथ्वीराज विजय के विजय सर्ग -12, श्लोक संख्या-62 से प्राप्त होता है। संभवतः आश्रयदाता सम्राट व कवि का नाम एक ही शब्द पृथ्वी से आरम्भ होने से कविवर ने अपना नाम बोलचाल में रासो ग्रन्थ पृथ्वीराज रासौ में चंद नाम का ही उल्लेख किया है।

अजमेर के चौहान राजाओं के यहा इनके पूर्वजों की यजमान वृत्ति (वशावली लेखन) होने से वे पंजाब से अजमेर आ गये। इनकी जीविका राजघराने से चलती थी और इनके घरानों को नागौर की जागीर प्रदान की गई थी। (स्नातक ,2016.17)

प्रमुख उपाधियाँ

राजा/राव- हमारी मातृभाषा आदि हिन्दी के जनक प्रसिद्ध रासो महाकाव्य के रचयिता महाकवि का सम्पूर्ण जीवन वीरता, साहस, भक्ति, साधना, एवं राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण ज्वलंत प्रेरणास्पद कहानी है। पृथ्वीराज चौहान के परम सखा, सलाहकार, सामंत, राज कवि, चन्दबरदाई ने अपने प्रतिभा के बल पर ज्वालामुखी की जागीर प्राप्त कर भट्ट के स्थान पर राव या राजा की उपाधि प्राप्त की। तब से भट्ट इतिहास में राव /राजा कहलाते हैं। भट्ट का शाब्दिक अर्थ विद्वानों का समूह सूचक शब्द, योद्धा, कलमकार होता है। महाकवि ने अपनी वाणी एवं कलम से इतिहास को एक नया रास्ता अपनी तलवार के दम पर विजय यात्राएं पूरी की साथ ही कला में श्रेष्ठ कृति पृथ्वी राज रासो जैसा महाकाव्य न भूतो न भविष्यति ग्रंथ की रचना की। (राव, 2016)

वरदाई - चंद माता ज्वालामुखी (जिनका मंदिर पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है।) के परम भक्त थे। प्राचीन आख्यानों के अनुसार ये सृष्टि की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी रचना सर्वप्रथम हुई।

उन्होंने ही ब्रह्माण्ड एवं सृष्टि की, और वे कामदेवी के नाम से भारत वर्ष में विख्यात हैं। चंद ने अपनी भक्ति व साधना से देवी को प्रसन्न कर युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया व तब से चंद वरदाई कहलाये। चंदबरदाई महादेवी चंडी के परम भक्त थे।

संदर्भ ग्रंथ - महाकवि गंगभट्ट पृष्ठ संख्या 19

नृसिंह राव - पीछाण ग्रंथ - पृष्ठ संख्या 111

कलादी- चंद ने जहां भट्ट से राव/राजा, वरदाई की उपाधि नहीं बल्कि अपनी योग्यता से कलादी भी कहलाये।

द्वितीय युग में भीमसेन की स्तुति पर प्रसन्न होकर माता ने कहा था कि कलिकाल में मैं कुलिश्वरी के नाम से जानी जाऊंगी तब मैं अपनी कला के रूप में अवतरित होऊंगी। चंदबरदाई कृत सिद्ध देवी ग्रन्थ में नमो ज्वाला यानि कला ज्वालामुखी यानि पर्वत पर तौही ध्यावे अभै सिद्ध वरदान कौ चंद पावै।

अतः चंदबरदाई के पूर्वज कालिका प्रसाद पर कलादी अर्थात् कामदेवी ने प्रसन्न होकर कटारी भेंट करने के साथ पंच दश विद्या एवं षोडशकला प्रदान की।

गौरी देवी स्तुति प्रीत्या, तंत्रानुपादिषत्

ददो पंचदशी विद्या, षोडशी सुकलागमन।

(भट्टख्यानम् 14)

तब से ही कालिका प्रसाद अपने साथ कटारी रखते हुए चार दिशाओं में काव्य कला कर विजय प्राप्त करके काव्य विद्या यानि कला की शक्ति से कलादी कहलाये। चंद कलादी वंश से ही अतः ये कलादी उपाधि वंश वृक्ष से प्राप्त की।

द्वितीय वेद व्यास/ वेद व्यास का अवतार- पृथ्वी राज रासौ के रचयिता ने स्थान -स्थान पर अपने काव्य की तुलना महाभारत से की। महाभारत को संस्कृत का ज्ञान कोश कहा जाता है। पृथ्वीराज रासौ के प्रणेता के मन में महाभारत के अनुकरण की बलवती स्पृहा रही है जो इन पंक्तियों में प्रमाणिक होती है।

काव्य समुद्र कर्वाचंद कृत, मुगति से धन ग्यान,

राजनीति दोहिय सफल। पार उतारन यान,

पारासर जो पुत्र वियामह। संतवती ग्रम्य गुरु भासह,

प्रवच अठारह, सवा लाख लक्ष्वै। तौ भारत गुरु लत्व विसवै।।

वही शिव पुराण में वेद व्यास ने कहा है कि-

व्यास कहे कलयुग के आदि, से घरहीं अवतार कलादी।

करही प्रसिद्ध विश्वमत व्यासा, श्रुति पुराण चहु और प्रकाशा।।

इन पंक्तियों का अर्थ है-भगवान शिव ने कलादी नाम से वेद नृत्ति भट अंश अवतार धारण कर व्यास के मतों को विश्व में फैलाया और वेद व पुराणों का प्रचार-प्रसार किया। जिनके कारण इन्हें वेद व्यास का अवतार भी कहा जाता है।

रासो परम्परा व हिन्दी के प्रथम कवि- ग्यारहवीं शताब्दी में लगभग जैन कवियों द्वारा रास साहित्य रचा गया तथा उसी के

समानान्तर राज्याश्रय कवियों ने रासो साहित्य लिखा जो तत्कालीन, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में निर्मित किया गया।

रासौ शब्द रास, रासक, रासज, रासु, रासलज, रासो नामों से साहित्य में प्रेम व श्रृंगार व रचनाओं को रास तथा वीरतापरक काव्यों को रासो की सजा दी गई है। रासो साहित्य राजस्थान की ही देन है। (जयसिंह, शर्मा, 2010)

पुस्तक - रासो शब्द की उत्पत्ति के छ रूप प्राप्त होते हैं रासो, रासौ, रासा, रायसा, रायसो। विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत के रास शब्द से व्युत्पन्न मानी है। (शर्मा रेखा, 2010)

निस्संदेह रास, रासक, और रासो आदिकालीन हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यरूप है, जिनमें खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराजरासो, विजयपाल रासो प्रमुख हैं।

चंदबरदायी हिन्दी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका ग्रन्थ पृथ्वीराजरासो हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत और राज कवि व परम सखा थे। चंद को षड् भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्दशास्त्र आदि के अनेक विधाओं में पारंगत थे।

युद्ध, आखेट, सभा, यात्रा में सदा राजा के साथ रहते थे। पृथ्वी राज रासो 25000 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रन्थ है जिसमें 69 समय (सर्ग) हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का इस ग्रन्थ में उपयोग हुआ है, जिसमें कविता, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाथा, और आर्या मुख्य हैं।

इस ग्रन्थ का रचना काल पृथ्वीराज के समय 1165ई से 1192ई तक का है। चौहानों ने दिल्ली व अजमेर पर इसी समय राज किया था। जिस प्रकार कादंबरी के सबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाणभट्ट के पुत्र ने पुरा किया वैसे ही इसका पिछला भाग भी चंद के पुत्र जल्लहन ने पुरा किया ऐसा कहा जाता है।

पुस्तक जल्लहन हत्थ दै चलि गज्जन नुपकाज।
रघुनाथचरित हनुमंतकृत, भूप भोज उद्ध रिय जिमि,
पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद कृत चंद नंद उद्ध रिय तिमि।।

(सिंह, 1970)

अर्थात् रासो के अनुसार जब गौरी पृथ्वीराज रासौ को कैद करके गजनी ले गया तब जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लहन के हाथ में रासौ की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का आदेश या संकेत दिया। चंद ने इस महाकाव्य में साहित्य व्याकरण, पिंगल अलंकार, व ज्योतिष शास्त्रों आदि विषयों का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है—

छंद प्रबंध कवित यति, साटक गाह दुहत्थ,
लघु गुरु मंडित खंडि यह, पिंगल अमर, भरत्थ।

(चतुर्वेदि, 2010)

राव जाति के विद्वानों/कवियों की कालान्तर में काव्य भाषा ब्रज पिंगल रही है।

“डिगल चारण चातुरी, पिंगल भट्ट प्रकाश” यह एक काव्योपह जीवी जाति है।

गौरीवध में सहायता व स्वयम् की मृत्यु— चंदबरदायी को माता ज्वालादेवी का युद्ध में विजयी हो का वरदान था।

करि विनतीयों बंदीजन, सनमुख रहयो सुजान।
प्रकट अबिका मुख कह्यो, मांग चंद वरदान।।

चंदबरदायी ने भैरव वैताल सहित 52 वीरों की उपासना कर इनके बल पर पृथ्वी राज चौहान ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। तथा शहाबुद्दीन गौरी को भी तराईन के प्रथम युद्ध में पराजित किया।

तराईन के युद्ध में जब गौरी पृथ्वी राज को गजनी लेकर गया, तब कुछ दिनों बाद चंद भी वहां चले गये। गजनी पहुंच कर चंद ने पृथ्वी राज चौहान को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कैद खाने में पृथ्वी के कष्टों का समाचार मिला। वे अपने स्वामी व मित्र के उद्धार लिये अवधुत के वेश में शहाबुद्दीन गौरी से मिला। और तत्पश्चात् पृथ्वीरासोमिला। शहाबुद्दीन गौरी ने जब जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बकद्रकाश्रम जाकर तप करना चाहता है परन्तु एक साध (इच्छा) उसके हृदय में शेष थी इसलिये वह अभी वहां नहीं गया, उसने बताया कि वो और पृथ्वीराज बचपन में एक साथ बड़े हुए तथा खेले थे। उस समय पृथ्वीराज ने उससे कहा था कि वह सिंगिनी के द्वारा बिना फल के बाध से ही सात घड़ियालों को एक साथ बंध सकता है। उसका यह कौशल वह नहीं देख सका था, और अब वह देखकर अपनी वह साध पूरी करना चाहता था।

गौरी ने कहा कि वह तो अधा (पृथ्वीराज) किया जा चुका है, चंद ने कहा कि वह फिर भी वैसा सधान कौशल दिखा सकता है, उसे यह विश्वास था। शहाबुद्दीन गौरी ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली। तत्संबंधि सारा प्रबंध किया। तत्पश्चात् चंद ने कारा गृह में जाकर पृथ्वी राज तृतीय को सारी गुप्त योजना से अवगत करा दिया तथा शत्रु के वध का आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वी राज से स्वीकृति लेकर चंद शहाबुद्दीन गौरी के पास गया और कहा कि वह लक्ष्य वैध करने को तभी तैयार हुआ है जब शहाबुद्दीन गौरी खुद अपने मुख से तीन बार लक्ष्य वैध करने का आहवान करे। शहाबुद्दीन गौरी ने स्वीकार किया। शहाबुद्दीन गौरी ने दो फरमान दिये ज्योंही तीसरा फरमान दिया और चंद ने गौरी के राजसिंहासन की दूरी को अपने इस दोहे द्वारा बताई—

चार बांस चैबिस गज अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता उपर सुल्तान है, मत चुके चौहान।।

संदर्भ

1. मसीन प्रेमलता, स्नातक विजेन्द्र (2016 17), पूर्वाधुनिक आख्यान मूलक काव्य—मुक्त शिक्षा विद्यालय— दिल्ली विवि पृष्ठक—2)
2. महर्ष्यानम् चरितम्।
3. रावसुखदेव, पिछाणग्रन्थ— WWW.kzivni.org, WWW.wikipida.com पृष्ठ संख्या—112
4. नीरज जयसिंह, शर्मा भगवती लाल, 2010 पुस्तक— राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा पेज.न—181

4

और शब्द भेदी बाण से शहाबुद्दीन गौरी को घराशाही कर दिया और एक दूसरे के सीने में कटार घोंप अपनी जीवन लीला का अन्त कर मित्रता और देशप्रेम कि अमर छाप छोड़कर संसार को अलविदा कह दिया।

चंद ही नहीं उसके पूर्व वंशज राव जाति के महाभारत युगीन संजय व सुमन्त तो गुप्त युगीन वेताल भट्ट, बाणभट्ट, कालिका प्रसाद, नरहरी, भूषण भट्ट, बीरबल, महाकवि गंगभट्ट, केदार भट्ट आदि युग दृष्टा रहे तथा आज भी समाज में देश भक्ति, कवित्व, विद्वत्ता व वीरता से सम्मानित है। जिन्होंने न केवल कलम से वरन् आवश्यकता पड़ने पर तलवार से भी देश की रक्षा की। ऐसे राव भट्ट योद्धा को नमन।

5. चतुर्वेदी मंजु (2010) हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या-35,36
6. शर्मा रेखा (2010) अनुसंधान पेपर- वज एवं खड़ी बोली सा. परम्परा
7. सिंह ओमप्रकाश (1970), आचार्य रामचंद्र ग्रन्थावली, भाग-5
8. www.jivni.org/www.wikipldiva.com

□□□

“भारत में बढ़ता लिंगभेद मानवीय सभ्यता के लिए घातक है।”

हीरालाल अहीर

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

देश में बढ़ता लिंगभेद मानवता के लिए अभिशाप है। लिंग भेद को मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। लिंग असमानता के मुख्य रूप से तीन सिद्धांत हैं 1. उदारवादी सिद्धांत 2. मार्क्सवादी सिद्धांत तथा 3. उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत समाज में नारी की दयनीय स्थिति के मुख्य कारण पूजावाद तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। लिंग असमानता के अनेक पहलू हैं, जिसे लिंग की सामाजिक संस्कृति का समानताएँ स्थान सबंधी और समानता गृहस्थी के कार्य एवं लिंग समानता पूजन में असमानता भ्रूण हत्या, वर लिंग असमानता, देहज व लिंग असमानता है। तथा आर्थिक क्षेत्र व लिंग सबंधी समाज में रूढ़िवादी परंपराएँ स्त्री शिक्षा का निर्णय अनुपात पुत्र मोह पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था आदि देश में लिंग समानता के प्रमुख कारण हैं। प्रस्तुत लेख में हमने लिंग असमानता के निवारण आरती शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनचेतना जागृत करने समाज में पुरुषों बदलने तथा रूढ़िवादी परंपराओं मान्यताओं तथा रीति-रिवाजों में परिवर्तन लाने की अनुशासा की है। आलेख में से तक के लिंगानुपात सबंधी तालिका का समावेश किया गया है साथ ही देश के अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से इसे और भी अधिक ज्ञानवर्धक रोचक व उपयोगी बना दिया गया है।

प्रस्तावना

लिंग शब्द व यौनशब्द दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित है। लिंग से तात्पर्य स्त्री व पुरुष के जैविक लक्षणों को वैज्ञानिक अध्ययन से है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे अध्ययनों के लिए अंग्रेजी भाषा का “सेक्स” शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा है। सामाजिक विज्ञान व समाजशास्त्र में स्त्री पुरुषों का अध्ययन लिंग के आधार पर किया जाता है, अर्थात् जीव विज्ञान की अवधारणा के अनुसार नर व मादा के जैविक लक्षणों, विविधताओं (जैसे जनन, शरीर रचना, शुक्राणु, अण्डाणु, गर्भाधान आदि) के अध्ययन का आधार लिंग कहलाता है। इसी लिंग शब्द के आधार पर मानव समाज में अनेकों सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण हुआ जैसे पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री आदि मानव समाज में स्त्री व पुरुष की प्रस्थिति का निर्धारक तत्व लिंग कहलाता है। समाजशास्त्र में लिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अन्न ओकेल ने 1972 में किया था।

लिंग की परिभाषा ‘अन्न ओकेल’ के अनुसार – इन्होंने अपनी पुस्तक सेक्स जेण्डर एण्ड सोसायटी में लिखा है “यौन या यौन भेद का अर्थ स्त्री व पुरुष का जैविक विभाजन से है जिसमें मुख्यतः स्त्रीत्व व पुरुषत्व के रूप में असमानताओं का विभाजन है।”

लिंग असमानता का अर्थ व परिभाषा

लिंग असमानता एक समाजशास्त्रीय महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका प्रयोग स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक व अन्य सभी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर भिन्नताओं का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है।

परिभाषा

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिंग असमानता स्त्री व पुरुष के बीच पाई जाने वाली प्रस्थिति व भूमिका जन्य स्थिति के

साथ-साथ समाज में स्त्री पुरुषों के बीच पाये जाने वाले असंतुलित अनुपात से है।

लिंग असमानताएं

समाजशास्त्र में 1970 तक केवल स्त्री व पुरुषों के जैविकीय लक्षणों के आधार पर पायी जाने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता था लेकिन 1972 में अन्न ओकेल ने समाजशास्त्र में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस अवधारणा के तहत समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में लिंग भेद से सम्बन्धित अध्ययनों की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया। जिसमें समाज में स्त्री व पुरुषों के बीच निम्न यौनि भेदों पर ध्यान दिया जाने लगा— सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक असमानता, धार्मिक असमानता, आर्थिक असमानता, प्रस्थिति व भूमिका जन्य असमानताओं का अध्ययन आदि।

लिंग असमानता के सिद्धान्त

समाजशास्त्रीयों ने समाजशास्त्र में लिंग असमानता का अध्ययन करने के लिए तीन सिद्धान्तों का प्रयोग किया है। 1. उदारवादी सिद्धान्त 2. मार्क्सवादी सिद्धान्त 3. उग्रउन्मूलनवादी सिद्धान्त। उदारवादियों के अनुसार लिंग असमानता का मुख्य कारण समाज में स्त्रियों के प्रति किया जाने वाला सामाजिक भेदभाव है तथा मार्क्सवादी यह मानते हैं कि नारी का शोषण करने के कारण समाज में लैंगिक असमानता उत्पन्न हुई है एवं उग्रउन्मूलनवादियों की मान्यता है कि समाज में नारी की दयनीय प्रस्थिति व भूमिका का मुख्य कारण पूजावाद व पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग असमानताएं

भारतीय समाज में सिन्धु घाटी व वैदिक सभ्यता में स्त्री-पुरुषों के बीच भेद केवल स्त्रीत्व व पुरुषत्व के आधार पर किया जाता था परन्तु परिवर्तन रूपी चक्र की गति के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होते गये जिससे मानव समाज के विकास की प्रत्येक अवस्था में गिरावट आती गयी। यह क्रम सल्तनतकाल से

प्रारम्भ होता है जो देश की आजादी तक चलता गया। इस अवधि में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन होते गये जिसमें इनकी प्रस्थिति में गिरावट सर्वप्रमुख है। स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति में हुए परिवर्तन का अध्ययन निम्न बिन्दुओं में किया जा सकता है।

1. लिंग की सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएं – समाज की रचना पुरुषों व स्त्रियों से मिलकर बनती है। स्त्री व पुरुष परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक परम्परा के अनुसार स्त्री व पुरुष की निश्चित प्रस्थिति व भूमिकाएं होती हैं जो लिंग भेद पर आधारित होती हैं। (गुप्ता, 2013)
2. स्थान, सत्ता, वंश, लिंग, असमानता – समाज में विवाह के बाद कुछ जनजातियों को छोड़कर (नायर, गारो, खासी) स्त्री को पुरुष के घर जाना पड़ता है एवं सत्ता पिता से पुत्र को स्थानान्तरित होती है पुत्री को नहीं। इसके अतिरिक्त संतान को समाज में पहचान पिता की मिलती है माता की नहीं।
3. गृहस्थी के कार्य व लिंग असमानता – समाज में गृहस्थी के सभी कार्य जो घर के अन्दर संपादित किये जाते हैं उन सभी कार्यों को महिलाएं करती हैं पुरुष नहीं।
4. भोजन में असमानता – समाज में स्त्रियों को भोजन सम्बन्धित अनेकों असमानताओं का सामना करना पड़ता है जैसे कम खाना मिलना, अधिक और पौष्टिक भोजन पुत्र को देना, ठण्डा बचा हुआ खाना स्त्री स्वयं खाती है और अपनी बेटों को खिलाती है।
5. भ्रूण हत्या व लिंग असमानता – विज्ञान के आविष्कारों ने मानव जीवन को अनेकों सुविधाएं दी हैं परन्तु इन सुविधाओं का दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे एम्नियोसेंटिसिस प्रक्रिया से गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाया जाता है। यदि गर्भ में पल रहा बच्चा पुत्री है तो गर्भपात करवा दिया जाता है परन्तु पुत्र होने पर नहीं।
6. दहेज व लिंग असमानताएं – भारत की अधिकांश जातियों में दहेज प्रथा का प्रचलन है। जिसमें विवाह के समय पुत्री के पिता को पुत्र पक्ष वालों को भारी भरकम धन राशि विवश होकर चुकानी पड़ती है। इस प्रकार की राशि दहेज कहलाती है। वर पक्ष को इस प्रकार की राशि नहीं देनी पड़ती है।
7. शिक्षा व लिंग असमानता – समाज में लड़कों की शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है एवं उच्च शिक्षा के सभी अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके विपरीत लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं पढ़ाया जाता है। लोगों की इसके पिछे यह सोच होती है कि लड़कियों को पराये घर जाना है।
8. आर्थिक क्षेत्र व लिंग असमानता – भारत की श्रमशक्ति में स्त्रियों का प्रमुख स्थान आता है क्योंकि सभी घरेलू सभी कार्य करने के बाद कृषि कार्य में हाथ बटाती हैं। इसके बावजूद भी उत्पादन प्रक्रिया में स्त्रियों के योगदान को नगण्य माना जाता है, जो श्रमिक महिलाएं मजदूरी पर जाती

है उन्हें पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिलता है। (महाजन डॉ. धर्मवीर, 2003)

भारत में लिंग असमानता के कारण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत में लिंग असमानता के अनेकों कारण हैं परन्तु उनमें से महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं—

1. समाज में रूढ़िवादी परम्पराएं।
2. समाज में शिक्षा का पूर्ण अभाव।
3. स्त्री शिक्षा का निम्न अनुपात।
4. समाज में पुत्र मोह का धार्मिक कारण।
5. समाजीकरण की प्रक्रिया में किया जाने वाला भेदभाव।
6. स्वयं स्त्रियों की अज्ञानता।
7. देश पर किये गये विदेशी आक्रमणों का प्रभाव।
8. समाज में निम्न प्रस्थिति व भूमिका का होना।
9. पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का होना।

भारत में लिंग असमानता निवारण के सुझाव

सामाजिक दृष्टिकोण से भारत में लिंग असमानता को कम करना अति आवश्यक है क्योंकि सन्तुलित लिंगानुपात के बिना आज के इस भौतिक युग में हम विकास की यात्रा में अपने जीवनरूपी रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें समाज में निम्न प्रयास करने होंगे।

1. स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर।
2. सामाजिक अज्ञानता का निवारण करके।
3. जनचेतना को जनमानस तक पहुंचा करके।
4. समाज में पुरुषों की सोच बदल करके।
5. समाज की रूढ़िवादी परम्पराओं, मान्यताओं, रिति-रिवाजों का उन्मूलन करके।

इन प्रमुख सुझावों को समाज की सामाजिक व्यवस्था में प्रयुक्त करके लिंग असमानता का निवारण किया जा सकता है। (सुधाकर, 2003)

भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात का महत्व

लिंगानुपात का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात में विषमता पायी जाती है उन क्षेत्रों में अनेकों सामाजिक समस्याएं, अपराध के स्वरूप अधिक देखे जाते हैं। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात सन्तुलित पाया जाता है उन क्षेत्रों में सुदृढ़ सामाजिक संगठन व आदर्श सामाजिक व्यवस्थाएं पायी जाती हैं। अतः लिंगानुपात के द्वारा भी किसी देश, राज्य की आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

“भारत में बढ़ता लिंगभेद मानवीय सभ्यता के लिए घातक है।”

7

भारत में 1901 से 2011 तक का लिंगानुपात

वर्ष	लिंगानुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

भारत के अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले पांच राज्य

अधिकतम लिंगानुपात	न्यूनतम लिंगानुपात
केरल - 1084	हरियाणा - 879
तमिलनाडू - 996	जम्मू कश्मीर - 889
आंध्रप्रदेश - 993	सिक्किम - 882
मणिपुर - 992	पंजाब - 895
छत्तिसगढ़ - 991	उत्तर प्रदेश - 912

भारत के अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केन्द्रशासित राज्य

अधिकतम लिंगानुपात	न्यूनतम लिंगानुपात
पुदुचैरी - 1037	दमन दीव - 618
लक्षदीप - 946	दादरनगर हवेली - 774
अण्डमान निकोबार - 876	
दिल्ली - 868	
चण्डीगढ़ - 818	

भारत के लिंगानुपात के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि जहाँ 1901 में भारत में लिंगानुपात 972 था वही 1951 में 946 रह गया। 2001 में लिंगानुपात और घटकर 933 ही रह गया। इस प्रकार देश की आजादी के बाद तीव्र गति से घटता लिंगानुपात मानव जाती के लिए प्रश्न चिह्न सा उत्पन्न कर देता है यह सत्य है कि 2011 के आँकड़ों के अनुसार लिंगानुपात 940 होना एक संतोषजनक नहीं परन्तु आशावाद की तरफ संकेत देती है। (अहूजा, 20014)

सन्दर्भ

1. अहूजा राम (2014)- भारतीय समाज रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली.
2. महाजन एव महाजन(2003) - भारतीय समाज मुझे एव समस्याएं विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली.
3. महाजन डॉ धर्मवीर, महाजन डॉ कमलेश(2003) - समाजशास्त्र का परिचय विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली।
4. नागर डॉ पुरुषोत्तम (2003) -आधुनिक भारतीय एव राजनीतिक चिंतन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी
5. सिद्धि डॉ नरेंद्र कुमार, गोस्वामी सुधाकर, (2003) समाजशास्त्र विवेचन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर.
6. गुप्ता डॉ शिवनारायण (2013) जनाकिकी के मूल तत्व रंदा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली.

□□□

हिन्दी शिक्षण में प्रदत्त कार्य

मधु कुमावत

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

भारत देश में भाषा शिक्षण के अंतर्गत छात्र-छात्राओं में भाषाई कौशलों के विकास हेतु समय-समय पर अनेक शिक्षण विधियों का आगमन हुआ है। और इन शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण करवाया जाने लगा। समय के अंतराल पश्चात परंपरागत शिक्षण विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों का सूत्रपात हुआ और नवीन शिक्षण विधि को अपनाया जाने लगा। प्रस्तुत आलेख में प्रदत्त कार्य आधारित व्यूह रचना पर बल दिया गया है, इसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। प्रदत्त कार्य आधारित समस्या को विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में समूह द्वय समूह में हल करने या आसानी से हिंदी विषय में कहानी, कविता, निबंध, लघु कथा, पत्र लेखन तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान का अधिगम कर सकते हैं। आलेखानुसार विद्यार्थी विषय वस्तु से सूचनाओं का आकलन कर संकलित सूचनाओं को रचना कौशल के माध्यम से स्थानांतरित एवं अभिव्यक्त कर सकते हैं। आलेख में कार्यभारित व्यूह रचना में शिक्षण के चरण शिक्षण की भूमिका तथा विद्यार्थियों की भूमिका पर सारगर्भित प्रकाश डाला गया है। हिंदी शिक्षक के लिए यह एक उपयोगी आलेख सिद्ध होगा।

प्रस्तावना

इस शोध कार्य में प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना से तात्पर्य पठन एवं रचना कौशल की उस गतिविधि से है जिसमें विद्यार्थी द्वय समूह अथवा समूह में अध्यापक द्वारा प्रदत्त कार्य (टास्क) करते हैं, हिंदी भाषा में किसी पठन सामग्री का अध्ययन कर संकलित सूचना को रचना कौशल के माध्यम से स्थानान्तरित एवं अभिव्यक्त करते हैं तथा रचनात्मक लेखन (कहानी, निबंध, पत्र, सार-संक्षेप, यात्रा वर्णन, संस्मरण, रेखाचित्र, प्रतिवेदन इत्यादि) कौशल का विकास करने से है। इसके अंतर्गत छात्र प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित गतिविधियाँ करते हैं। गतिविधियाँ विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत व्यूह रचना में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विद्यार्थी स्वयं कार्य करके हिंदी भाषा सीखे। यदि छात्र स्वयं कार्य करता है तथा अपनी अभिव्यक्ति भी वह अपने आधार पर करता है तो उसमें हिंदी भाषा में मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल का विकास होता है। प्रस्तुत व्यूह रचना में विषय वस्तु का शिक्षण परम्परागत तरीके से नहीं करवाया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ का आरंभ ही गतिविधियों के द्वारा शुरू किया जाता है। विद्यार्थी यहाँ अपनी बात को अपने अनुसार अभिव्यक्त करना सीखता है। इस व्यूह रचना में संप्रेषण पर बल दिया जाता है।

प्रस्तुत व्यूह रचना में छात्र चर्चा, परिचर्चा कर समूह में कार्य करने को प्रेरित होते हैं। इस व्यूह रचना के अंतर्गत शिक्षिका छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का चयन करती है तथा चयनित विषय वस्तु को प्रदत्त कार्य (टास्क) के आधार पर छात्रों से समस्या हल करवाती है। छात्र विचार-मंथन करते हुए शिक्षिका के मार्गदर्शन में प्रदत्त कार्य (टास्क) को हल करते हैं तत्पश्चात् छात्र शिक्षिका को अधिगम कार्य का निष्कर्ष बताते हैं। इस प्रकार छात्र प्रदत्त कार्य (टास्क) की इस प्रक्रिया द्वारा हिंदी भाषा, विषय वस्तु एवं संप्रेषण कौशल को सीखते हैं।

प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना की संप्रत्यात्मक रूपरेखा

सामान्यतः भाषा शिक्षण में प्रदत्त कार्य (टास्क) से अभिप्राय व्याकरण की विभिन्न गतिविधियों एवं अभिनय से समझा जाता है। परन्तु इस शोध में इसे भिन्न रूप में देखा गया है। यहाँ प्रदत्त कार्य (टास्क) से तात्पर्य पठन एवं रचना कौशल की उस गतिविधि से है जिसमें विद्यार्थी विषयवस्तु को पढ़कर उसमें से सूचनाओं को संकलित करता है एवं उन संकलित सूचनाओं को रचना कौशल के माध्यम से स्थानान्तरित एवं अभिव्यक्त करता है।

प्रसिद्ध समकालीन भाषा वैज्ञानिक जेन विलिस (2004) ने अपनी पुस्तक "A Frame Work for Task-based Learning" में प्रदत्त कार्य (टास्क) को इस प्रकार परिभाषित किया है—

"Tasks are always activities where the target language is used by the learners for a communicative purpose (goal) in order to achieve an outcome."

"प्रदत्त कार्य (टास्क) वह कार्य अथवा गतिविधियाँ हैं जिनमें विद्यार्थी पढ़ायी जाने वाली भाषा का प्रयोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति एवं संप्रेषण के लिए करते हैं।"

प्रदत्त कार्य (टास्क) एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सीखने के साथ सार्थक कार्य निश्चित समय में पूर्ण किए जा सकते हैं। जेन विलिस ने यह भी कहा कि कार्य करने के लिए वास्तविक जीवन स्थितियाँ एवं शैक्षिक उद्देश्य भी हो सकते हैं।

जेन विलिस के अनुसार प्रदत्त कार्य (टास्क) के प्रकार :-

1. सूचीबद्ध करना (विचार मंथन, तथ्यों का संग्रह करना) आदि।
2. क्रमबद्ध करना (विषयवस्तु को क्रमबद्ध करना तथा उसमें से निर्देशानुसार शब्दों को छाँटना) आदि।
3. तुलना करना (समानता, भिन्नता के आधार पर तुलना करना) आदि।

4. समस्या समाधान (पहेली, जीवन संबंधी समस्या, अधूरी कहानी कविता को पूर्ण करना) आदि।
5. स्व अनुभव बाँटना (घटना, यात्रा वृत्तांत, विचार स्व-चिंतन) आदि।

प्रो. एन.एस. प्रभू (1991) ने 'टास्क' को इस प्रकार परिभाषित किया है—

'प्रदत्त कार्य (टास्क) से तात्पर्य उस गतिविधि से है जिसमें विद्यार्थी किसी प्रदत्त सूचना के माध्यम से किसी विचार प्रक्रिया से किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।'

एन.एस. प्रभू ने प्रदत्त कार्य (टास्क) के चार प्रकार बताए हैं—

1. **नियम केन्द्रित गतिविधियाँ**— इसके अंतर्गत व्याकरण एवं भाषायी नियमों से संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं जिससे छात्रों को नियमों का प्रत्यास्मरण हो सके।
2. **स्व-केन्द्रित गतिविधियाँ**— इसके अंतर्गत दोहरान कार्य से संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं।
3. **बोधगम्य गतिविधियाँ**— इसके अंतर्गत वह गतिविधियाँ करवाई जाती हैं जो अर्थ आधारित होती हैं ताकि छात्र कुशलतापूर्वक भाषा के अर्थ को समझ सकें।
4. **अर्थ-केन्द्रित गतिविधियाँ**— इसके अंतर्गत तीन प्रकार की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं—
 - अ. सूचना अंतराल गतिविधियाँ (सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित करना)
 - ब. समस्या समाधान गतिविधियाँ (समस्या का समाधान निकालना, कारण बताओ इत्यादि)
 - स. विचार अंतराल गतिविधियाँ (परिस्थिति के अनुसार अपने अनुभव बाँटना एवं परिस्थिति को पहचानना)

टास्क के चरण

चरण	चयन के उदाहरण
प्रदत्त कार्य (टास्क)	<ul style="list-style-type: none"> ■ गतिविधियों का निर्धारण ■ योजना का समय ■ समान प्रदत्त कार्य का निष्पादन
प्रदत्त कार्य के अंतर्गत	समय का दबाव
पश्च कार्य (टास्क)	<ul style="list-style-type: none"> ■ अभ्यर्थियों की संख्या ■ प्रतिवेदन ■ जागरूकता लाना ■ दोहरान कार्य

इलिस रोड (2004) के अनुसार— प्रदत्त कार्य (टास्क) एक प्रकार की कार्य योजना है जिसमें विद्यार्थियों को परिणाम प्राप्त करने हेतु भाषा को संघारित करने की आवश्यकता होती है। उक्त परिणामों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि उक्त रीति में प्रयुक्त सामग्री को उचित रूप से व्यक्त किया गया है या नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि उक्त कार्य के निष्पादन में उन्हें

प्राथमिक ध्यान, भाषा के अर्थ पर देना होता है। साथ ही स्वयं के भाषायी संसाधनों का उपयोग करना भी उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। हालांकि प्रदत्त कार्य (टास्क) की रचना के पूर्व संपादन हेतु उन्हें विशेष तरीकों का चयन करना पड़ सकता है।

प्रदत्त कार्य (टास्क) का मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन में भाषा के उपयोग के तरीके जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष होते हैं की समान जानकारी देना होती है। अन्य भाषा की तरह प्रदत्त कार्य (टास्क) उत्पादक या ग्रहणशील एवं मौखिक या लिखित कौशल और विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित करता है। प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदत्त कार्य (टास्क) को निम्न वर्णित सम्प्रत्यय के रूप में भी देखा जाता है।

कक्षा-कक्ष में विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन में द्वय समूह अथवा वर्णित समूह में प्रदान किए गए कार्यों एवं उससे संबंधित गतिविधि को संपादित कर उपलब्ध पठनीय सामग्री का विस्तृत अध्ययन कर सूचना का संकलन करते हैं। उक्त संपादन में वे विचार मंथन की रीति को अपनाकर सकलित की गई सूचना को रचना कौशल के माध्यम से स्थानान्तरित, संप्रेषित एवं अभिव्यक्त करते हैं।

प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना में शिक्षण प्रक्रिया¹⁰

जेन विलिस (2004) द्वारा अपनी पुस्तक में प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित शिक्षण व्यूह रचना की प्रक्रिया को मुख्यतः तीन सोपान में प्रस्तुत किया है—

1. **पूर्व प्रदत्त कार्य**— प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना में शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रकरण से अवगत करवाया जाता है। उक्त गतिविधि हेतु शिक्षक द्वारा छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक या दो गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रकरण पर ले जाने हेतु प्रयास किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण में वर्णित विषयवस्तु का परिचय भी करवाया जाता है।
 1. निश्चित प्रकरण पर विद्यार्थियों को विचार मंथन हेतु प्रेरित करना।
 2. प्रकरण से संबंधित चित्र आदि प्रस्तुत करना।
 3. प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना।
 4. छात्रों को प्रकरण हेतु अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना।
 5. विद्यार्थियों को प्रकरण से संबंधित सूचना बनवाना।
 6. विद्यार्थियों को प्रकरण से भाषा संबंधित खेल खेलाना।
 7. विद्यार्थियों के मध्य उन्हीं के द्वारा उपलब्ध ज्ञान का आदान-प्रदान करवाना।
 8. प्रकरण से संबंधित यदि कोई घटना या कथा या कोई प्रेरणात्मक विषयवस्तु उपलब्ध हो तो उसे सुनाना।
2. **प्रदत्त कार्य (टास्क) चक्र**— निम्नलिखित सोपानों के तीन उप-सोपान वर्णित हैं—

प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना में छात्रों की भूमिका¹²

छात्र अधिगम ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जिसका केन्द्र सदैव छात्र होता है तथा प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित व्यूह रचना भी केन्द्रीय भूमिका छात्र की ही होती है। प्रस्तुत व्यूह रचना में छात्र की भूमिकाओं को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया गया है—

1. **समूह सहभागिता**— छात्रों द्वारा भाषायी अधिगम का कार्य शिक्षक द्वारा निर्धारित दो या दो से अधिक छात्रों के समूह में किया जाता है। विद्यार्थी अपने समूह में सक्रिय सहभागिता से कार्य कर शिक्षक के निर्देशानुसार प्रदत्त कार्य (टास्क) में सक्रिय सहभागिता द्वारा भाषाधिगम का कार्य निष्पादित करते हैं।
2. **निर्देशक**— शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य (टास्क) के निष्पादन में प्रत्येक छात्र द्वारा निर्धारित समूह में सक्रिय भूमिका निर्भाई जाती है जिससे निर्धारित समूह के छात्र आपस में ज्ञान एवं अनुभव का आपसी आदान-प्रदान करते हैं।
3. **चुनौती लेने वाला**— छात्र द्वारा प्रदत्त कार्य (टास्क) में चाहे सरल, चाहे कठिन जैसी भी विषयवस्तु हो सहज रूप से स्वीकार किया जाता है।
4. **नवाचार करने वाला**— विद्यार्थी अपने निर्धारित समूह में प्रदत्त कार्य (टास्क) का अभ्यास होने पर मौलिक चिंतन करते हैं तथा उपलब्ध विषयवस्तु को पढ़कर नवीन प्रदत्त कार्य (टास्क) करने का प्रयास करते हैं। साथ ही वे विद्यार्थी अपने

समूह में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए इस नवाचार के माध्यम से प्रदत्त कार्य (टास्क) को निष्पादित करने की प्रक्रिया से अन्य छात्रों को भी अवगत कराते हैं।

- 5 **प्रतिवेदन प्रस्तुत करना**— निर्धारित समूह में किए गए प्रदत्त कार्य (टास्क) के प्रतिवेदन को उस समूह के प्रतिनिधि द्वारा शिक्षक के निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जाता है जिसके निष्कर्ष एवं परिणामों की तुलना छात्रों द्वारा शिक्षक के सहयोग से की जाती है।

संदर्भ

- 1 श्रीमाली बी.एल.(2008)— किया (टास्क)आधारित संस्कृत शिक्षण एक नवाचार, जयपुर पब्लिकेशन मिश्रा, रामचन्द्र (1992) काव्यादर्श, वाराणसी - चौखम्मा विद्याभवन, पृ स 3-4
- 2 पाण्डेय, रामशकल (2010) हिंदी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, पृ 7
- 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), पृ 48
- 4 भाटिया एव नारंग (2002) हिंदी शिक्षण विधियाँ, टण्डन पब्लिकेशन
- 5 प्रभु एन.एस(1991), सेकण्ड लैंग्वेज पेडालोजि ओक्सफोर्ड : ओक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
- 6 एलीस, रोड (2004) टास्क-बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग एण्ड टिचिंग : ओक्सफोर्ड : ओक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
- 7 विलिस, जान (2004). ए फ्रेमवर्क फोर टास्क बेस्ड लर्निंग ओक्सफोर्ड लॉगमेन, पेज न 23
- 8 नमन डेविड,(2004)— केंब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस।



- (i) **प्रदत्त कार्य (टास्क)**— इस सोपान तक पहुँचने से पूर्व विद्यार्थी प्रकरण एवं पाठ से संबंधित विषयवस्तु से लगभग अवगत हो जाते हैं। तदुपरान्त शिक्षक द्वारा प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु छात्रों को वितरण की जाती है। उसी वितरित विषयवस्तु पर विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशानुसार प्रदत्त कार्य (टास्क) करता है। शिक्षक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस शिक्षण प्रक्रिया को अपनाकर विद्यार्थी निर्धारित किए गए समूह या द्वय समूह में प्रदत्त भाषायी कार्य करता है एवं उसी माध्यम से भाषा सीखता है।
- (ii) **योजना (Planning)**— प्रस्तुत उप-सोपान के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन में पठन के आधार पर प्रदत्त कार्य (टास्क) कार्य करता है तदुपरान्त उक्त कार्य से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखता है। उक्त प्रदत्त कार्य करने की गतिविधि का वर्णन विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समूह में शिक्षक के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाता है।
- (iii) **प्रतिवेदन (Report)**— प्रस्तुत उप-सोपान में विद्यार्थी समूह के प्रतिनिधि द्वारा पठन एवं रचना कौशल संबंधित प्रदत्त कार्य (टास्क) की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है। तदुपरान्त सभी विद्यार्थी अपने निर्धारित समूह में विचार विनिमय एवं चर्चा परिचर्चा द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य (टास्क) का स्पष्टीकरण देते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से प्राप्त सही निष्कर्ष को सभी विद्यार्थी समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं यदि निष्कर्ष गलत होता है तो समूह के विद्यार्थियों द्वारा निष्कर्ष को सही करने का प्रयास किया जाता है।
- (iv) **भाषायी अभ्यास कार्य (रचना कार्य)**— प्रस्तुत सोपान के अंतर्गत पाठ में आने वाले नवीन शब्दों एवं वाक्यों का रचनात्मक विश्लेषण शिक्षक द्वारा किया जाता है। जिसमें शिक्षक द्वारा निम्नलिखित दो उप-सोपानों की सहायता ली जाती है—
- (अ) **विश्लेषण**— प्रस्तुत उप-सोपान में विद्यार्थियों को पाठ में वर्णित नवीन शब्दों के समान शब्द संरचना हेतु प्रेरित किया जाता है। तदुपरान्त शिक्षक के मार्गदर्शन एवं सहयोग द्वारा विद्यार्थी अपने समूह में नवीन शब्दों की संरचना का प्रयास करते हैं, जिसके उत्तर की जाँच अन्य छात्र समूह द्वारा की जाती है। तदुपरान्त शिक्षक द्वारा छात्र समूहों द्वारा निर्मित नवीन शब्दों की अंतिम जाँच की जाती है। इस प्रकार नवीन शब्दों का निर्माण एवं उक्त नवीन शब्दों को सीखने का प्रयास छात्र समूहों द्वारा किया जाता है।
- (ब) **अभ्यास**— प्रस्तुत उप-सोपान में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ में वर्णित विभिन्न भावों से संबंधित वाक्यों के समान वाक्य संरचना जिसमें प्रार्थना पत्र, विज्ञापन, संवाद, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शुभकामना संदेश, अनुच्छेद आदि सम्मिलित है। इस हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा

निर्धारित समूह में नवीन वाक्य की संरचना का प्रयास करते हुए शिक्षक के सहयोग से अन्य छात्र समूहों द्वारा अपने दिए गए उत्तर की जाँच करता है। जिसमें छात्र द्वारा निर्मित नवीन रचना कार्य की जाँच शिक्षक द्वारा की जाती है। इस प्रकार छात्र अपने निर्धारित समूह में रचना कार्य को निष्पादित करता है।

प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित ब्यूह रचना में शिक्षक की भूमिका¹¹

प्रदत्त कार्य (टास्क) का चयनकर्ता— प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित शिक्षण ब्यूह रचना के माध्यम से शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य (टास्क) निष्पादित किए जाते हैं। उक्त गतिविधि के निष्पादन में विषयवस्तु शिक्षक द्वारा पढ़कर निर्धारित की जाती है, जिसमें शिक्षक प्रदत्त कार्य (टास्क) के चयन एवं उसके क्रम निर्धारण में अहम एवं केन्द्रीय भूमिका निभाता है।

1. **प्रदत्त कार्य (टास्क) का क्रम निर्धारण**— प्रदत्त कार्य (टास्क) में प्राथमिकता पर आधारित प्रदत्त कार्य (टास्क) निर्धारित क्रम में करवाए जाते हैं जो कि प्रकरण में वर्णित विषयवस्तु एवं प्रकरण की प्रकृति के अनुसार संबंधित व्याकरण के अनुसार एकाधिक हो सकते हैं।
2. **प्रदत्त कार्य (टास्क) करने हेतु छात्र-प्रेरक**— प्रदत्त कार्य (टास्क) आधारित ब्यूह रचना में शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदत्त कार्य (टास्क) निष्पादित करने हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। तदुपरान्त शिक्षक उक्त रीति को अपनाते हुए छात्रों को प्रदत्त कार्य (टास्क) करने हेतु अपेक्षित सहयोग करता है। साथ ही शिक्षक द्वारा पाठ में वर्णित नवीन शब्दों एवं वाक्यों का समझाते हुए संबंधित प्रदत्त कार्य (टास्क) को निष्पादित करने हेतु प्रेरित करता है।
3. **समूह निर्माता**— शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य (टास्क) को निष्पादित करने हेतु भाषा अधिगम का कार्य निर्धारित छात्र समूह या दो के समूह में करवाया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्र समूह में मंदगति, सामान्य गति एवं प्रतिभाशाली छात्रों को समान रूप से रखते हुए समूह का निर्माण किया जाता है।
4. **प्रदत्त कार्य (टास्क) प्रक्रिया प्रदर्शक**— छात्रों को प्रदत्त कार्य (टास्क) में समस्या आने पर पूर्व प्रदत्त कार्य (टास्क) के अंतर्गत समान प्रदत्त कार्य को शिक्षक द्वारा स्वयं निष्पादित करके बताया जाता है।
5. **मार्गदर्शक**— छात्रों को प्रदत्त कार्य (टास्क) में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन देकर दूर किया जाता है।
6. **प्रबन्धक**— प्रदत्त कार्य (टास्क) को निष्पादित करने में अपेक्षित आवश्यक सामग्री जिसमें विषयवस्तु आधारित पत्र-पत्रिकाएँ एवं संबंधित शब्द कोष इत्यादि वांछित अधिगम साधन शिक्षक द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं।

मानव विकास सूचकांक में भारत

ओम प्रकाश सुखवाल
रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट है जो जीवन प्रत्याशा शिक्षा आए के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले 1990 में एसबीआई रिपोर्ट जारी की गई थी तब से प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 189 देश हैं, जिसमें भारत 129 वें स्थान पर है। भारत ने वर्ष 2018 के मुकाबले 2019 में 1 अंक का सुधार किया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 152 और बांग्लादेश 135 वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल 147 में भूटान 134 में म्यांमार 145 वे और श्रीलंका 171 वे स्थान पर है रैंकिंग के आधार पर इसमें शामिल सभी देशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी बेहद उच्च मानव विकास की है, जिसमें कुल 62 देश शामिल हैं दूसरी श्रेणी उच्च मानव विकास है, जिसमें तरह से 116 पायदान पर रहे देश शामिल हैं। तीसरी श्रेणी मध्य मानव विकास से संबंधित है, इसमें 117 से 153 नंबर तक के देशों को शामिल किया गया है। भारत भी इसी मध्य मानव विकास श्रेणी में शामिल है। अंतिम श्रेणी निम्न मानव विकास की है, इस श्रेणी में दुनिया के सभी देश शामिल हैं। प्रस्तुत आलेख में 1990 से 2019 के बीच भारत के मानव सूचकांक मूल्य में 50% सुधार बताया गया है यह 0.431 से बढ़कर 0.647 हो गया है। यह मानव विकास की श्रेणी में शामिल देशों के औसत मूल्य से (0.642) से अधिक है। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य दक्षिण एशियाई देशों के औसत मूल्य (0.642) से अधिक है दूसरे शब्दों में कहें तो मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है।

प्रस्तावना

जीवन की गुणवत्ता के सूचक को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक (HDI) तैयार किया और प्रकाशित किया। जो निम्नलिखित तीन मौलिक मानवीय पहलुओं के अध्ययन का सम्मिलित सूचकांक था, इसमें प्रथम दीर्घायु स्तर— इसका अर्थ है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इसका आशय यह है कि सामान्यतः एक नवजात शिशु के कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है। भारत में इस समय जीवन प्रत्याशा लगभग 69 वर्ष है। द्वितीय शैक्षिक उपलब्धि— इसका अर्थ है देश के लोगों द्वारा औसत के आधार पर प्राप्त ज्ञान और शिक्षा की उपलब्धता। शैक्षिक उपलब्धि के घटकों का वर्णन निम्न दो तत्वों द्वारा किया जाता है (अ) वयस्क साक्षरता दर तथा (ब) सकल नामांकन अनुपात। वयस्क साक्षरता दर मापने में इसका भारांकन दो तिहाई रहता है 15 वर्ष या इसके ऊपर आयु के लोगों की दर जो अपने दैनिक जीवन में छोटे तथा सरल कथनों को समझ, पढ़ और लिख सकते हैं, को साक्षर कहा जा सकता है। सकल नामांकन अनुपात मापने में इसका भारांकन एक तिहाई अनुपात रहता है, सकल नामांकन अनुपात का आशय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। यह विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत है जो शैक्षिक प्रयत्नों में व्यस्त है शिक्षा स्तर में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर सम्मिलित है। शिक्षा के मौलिक तत्व प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध किए जाते हैं शिक्षा के माध्यमिक स्तर की पढ़ाई मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर होती है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का अध्ययन तृतीय स्तर पर होता है। तृतीय प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी पर जीवन स्तर— यह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समता आधारित) के प्राकृतिक लघुगणक से मापित जीवन स्तर का अध्ययन करता है इस प्रकार मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उक्त तीनों तत्वों के अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

मानव विकास सूचकांक बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक द्वारा 1990 में विकसित किया गया मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोफेसर हक ने विश्व के जाने-माने विकास अर्थशास्त्रियों पॉलस्ट्रीटन, फ्रांसिस स्टीवर्ट, गुस्ताव रेनिस, कीथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद तथा मेघनाथ देसाई से युक्त एक समिति का गठन किया था 4 नवंबर 2010 को प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक की आगमन विधि में आंशिक रूप से संशोधित किया तब से इस सूचकांक की गणना उपरोक्त तीनों मौलिक मानवीय पहलुओं (HDI = LEI + EAI + SLI / 3) को प्रयुक्त करके की जाती है। (अहुजा, 2006)

वर्ष 2010 में ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन अन्य सूचकांकों को विकसित करके मानव विकास में शामिल कर लिया

1. बहुआयामी निर्घनता निर्देशांक (MPI)
2. असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक (IHDI) तथा
3. लिंगमूलक असमानता निर्देशांक (GII)

वर्ष 2014 की मानव विकास सूचकांक में पांचवे निर्देशांक के रूप में लिंग मूलक विकास निर्देशांक को शामिल किया गया विगत 30 वर्षों में मानव विकास सूचकांक शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों के लिए अति विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है।

मानव विकास सूचक का निर्माण

मानव विकास सूचक के निर्माण के लिए दो स्तर अपनाने की आवश्यकता रहती है जो निम्नलिखित हैं—

22	इजराइल	0.906	82.8	18.4	12.2	36757
29	इटली	0.883	83.4	18.2	10.2	36141

मध्यम मानव विकास वाले देश-

79	ब्राजील	0.761	75.7	15.4	7.8	14068
85	चीन	0.758	78.9	13.9	7.9	16127
113	द.अफ्रीका	0.705	63.9	13.7	10.2	11756
129	भारत	0.647	69.4	12.3	6.5	6829
134	भूटान	0.617	71.5	12.1	3.1	8609
135	बांग्लादेश	0.614	72.3	11.2	6.1	4057
152	पाकिस्तान	0.560	67.1	8.5	5.2	5190
168	सूडान	0.507	65.1	7.7	3.7	3962

निम्न मानव विकास वाले देश-

170	अफगानिस्तान	0.495	66.6	6.5	4.0	3601
181	लाइबेरीया	0.438	54.3	10.2	3.6	1381
182	माली	0.434	61.2	8.9	1.6	1705
187	द. सूडान	0.401	54.0	7.5	2.4	1716
188	मध्य अफ्रीकन गणराज्य	0.381	52.8	7.6	4.3	777
189	नाइजर	0.377	62.0	6.5	2.0	912

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मानव विकास में नार्वे, स्विजरलैण्ड तथा आयरलैण्ड उच्च स्तर पर है जबकि कनाडा 13 वीं रैंक पर, अमेरिका 15 वीं रैंक पर तथा इटली 29 वीं रैंक पर है। भारत मानव विकास के 129 वें पायेदान पर स्थित है। जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन 85 वीं रैंक पर व पाकिस्तान 152 वीं रैंक पर है। सबसे निम्न स्तर पर नाइजर देश है जो मानव विकास सूचकांक में 189 रैंक पर है।

मानव विकास सूचकांक में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2019 के आंकड़ों पर आधारित विश्व के 189 देशों के लिए जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 129 वे स्थान पर है भारत में लाखों लोगों के निर्धनता के कुचक से बाहर निकल आने के बावजूद भारत मानव विकास से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से असमानतायें विद्यमान हैं 2019 में मानव विकास सूचकांक 0.640 के साथ भारत को मध्य मानव विकास संवर्ग में रखा गया है।

1990 एवं 2019 के बीच भारत के मानव विकास सूचकांक का मान 0.427 से 49.88 प्रतिशत बढ़कर 0.640 के स्तर पर पहुंच गया है। यह इस बात का संकेत है कि देश के लाखों लोग निर्धनता रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब भारत के मानव विकास सूचकांक के मान को असमानता से समायोजित किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक के मान में 26.8% तक की कमी आ जाती है। 2018 में भारत के असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का मान 0.468 ही था। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर

20% की गिरावट से अधिक है यह इंगित करता है कि भारत में मानव विकास संकेतकों से संबंध में वैश्विक औसत से अधिक है। भारत सहित विश्व के अन्य भागों में लोग अब अधिक समय अवधि तक जीवित रहते हैं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित हैं तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इसके वैश्विक मानव विकास सूचकांक के मान में 1990 एवं 2019 के बीच 22% की वृद्धि हुई है। अत्यल्प विकसित देशों के मानव विकास सूचकांक के मान में इसी अवधि में 51% की वृद्धि हुई भारत में मानव विकास सूचकांक के मान में 49.08% की वृद्धि हुई है जो औसत वृद्धि से लगभग दुगुनी है।

1990 एवं 2019 के बीच भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 11 वर्ष तक बढ़ गई है बच्चों की विद्यालय शिक्षा की अवधि में 4.7 वर्ष की वृद्धि है सर्वाधिक वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में हुई है जो 1990 में 17.33 अमेरिकी डॉलर से 266.59% बढ़कर 2019 में 6829 अमेरिकी डॉलर हो गई। विगत दो-तीन दशकों में परिमाणात्मक रूप से भारत ने मानव विकास के मामले में अच्छी प्रगति दर्ज की है लेकिन भारत में महिलाओं की निजी प्रति व्यक्ति आय जो नौची आर्थिक सभ्यता का परिणाम है, के चलते बड़े पैमाने पर लिंग मुलक असमानता विद्यमान है। लिंग मुलक असमानता सूचकांक 2019 में 189 देशों की सूची में भारत 129 वे स्थान पर है। यह स्थिति पुनरोत्पादक, स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक क्रियाओं में लिंग आधारित असमानताओं का द्योतक है।

1. प्रासंगिक संकेतकों का निर्माण— संकेतकों का निर्माण करते समय सर्वप्रथम मानवीय विकास के प्रत्येक संकेतन का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करना होता है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम द्वारा सत्र 1997 के लिये निश्चित, न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य निम्न तालिका में दर्शायी गयी है—

	संकेतक	न्यूनतम मूल्य	अधिकतम मूल्य
1	जन्म पर जीवन प्रत्याशा	25	85
2	वयस्क साक्षर दर	0	100
3	संयुक्त सकल नामांकन अनुपात	0	100
4	प्रति व्यक्ति वास्तविक जी.डी.पी. (PPP*\$)	\$ 100	\$ 40000

नोट— पीपीपी का आशय क्रय शक्ति की क्षमता से है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का आकलन और प्रकाशन किया गया है यह मानवीय कृत मूल्य है तथा सामान्यतया सभी देशों में प्रयुक्त होता है।

मानव विकास सूचकांकों के निर्माण के लिए सभी संकेतकों के व्यक्तिगत संकेतकों के परिकलन की आवश्यकता होती है व्यक्तिगत संकेतकों के निर्माण के लिए निम्न सूत्र का सहारा लिया जाता है—

प्राप्ति स्तर = वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य / अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य

उदाहरणार्थ किसी देश की जीवन प्रत्याशा 62.6 वर्ष है तथा जीवन प्रत्याशा का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्रमशः 80 और 20 मानते हुए जीवन प्रत्याशा सूचकांक निम्न होगा—

जीवन प्रत्याशा सूचकांक = वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य / अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य

$$= \frac{62.6 - 20.0}{80.0 - 20.0}$$

$$= \frac{42.6}{60.0} = 0.73$$

2. तीनों संकेतकों का औसत ज्ञात करना—मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए जीवन प्रत्याशा शैक्षिक उपलब्धि तथा वास्तविक जीडीपी प्रतिव्यक्ति सूचकांक के औसत से ज्ञात किया जाता है जो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है

मानव विकास सूचकांक = जीवन प्रत्याशा सूचकांक + शैक्षिक उपलब्धिसूचक + प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीडीपी / 3

उदाहरणार्थ किसी देश की जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0.52 है, शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक 0.68 है और प्रति व्यक्ति वास्तवि जी.डी.पी. प्रति व्यक्ति सूचकांक 0.42 हो तो मानव विकास सूचकांक निम्न होगा।

मानव विकास सूचकांक = जीवन प्रत्याशा सूचकांक + शैक्षिक उपलब्धिसूचक + प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीडीपी / 3

$$= \frac{0.52 + 0.68 + 0.42}{3}$$

$$= \frac{1.62}{3} = 0.54$$

मानव विकास रिपोर्ट 1999 में 189 विकसित एवं विकासशील देशों से संबंधित वर्ष 1998 की वास्तविक प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी., मानव विकास सूचकांक मूल्य तथा मानव विकास सूचकांक क्रम प्रस्तुत किये गये हैं। जिन 189 देशों के HDI की गणना की गई थी। उनमें से 62 उच्च विकास वर्ग (0.8 से 0.95) में थे, 107 देशों की मध्यम विकास वर्ग स्थिति (0.5 से 0.79) तथा 20 निम्न मानव विकास वर्ग (0.48 से 0.37) में थे। इसमें उच्च चुने हुए देशों का मानव विकास सूचकांक निम्नानुसार है।

तालिका 17.2 चुने हुए देशों का HDI, 1999

रैंक	देश	मानव विकास सूचकांक का मान	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) सम्पोषणीय विकास लक्ष्य— 3	विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सम्पोषणीय विकास लक्ष्य— 4.3	विद्यालयी शिक्षा के माध्य वर्ष सम्पोषणीय विकास लक्ष्य— 4.6	कय शक्ति समता आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (अमरीकी डॉलर) सम्पोषणीय विकास लक्ष्य— 8.5
उच्च मानव विकास वाले देश						
1	नोर्वे	0.954	82.3	18.1	12.6	68059
2	स्विजरलैण्ड	0.946	83.6	16.2	13.4	59375
3	आयरलैण्ड	0.942	82.1	18.8	12.5	55660
4	जर्मनी	0.939	81.2	17.1	14.1	46946
19	जपान	0.915	84.5	15.2	12.8	40799
13	कनाडा	0.922	82.3	16.1	13.3	43602
15	U.K	0.920	81.2	17.4	13.0	39507
15	U.S	0.920	8.9	16.3	13.4	56140

मानव विकास सूचकांक में भारत

भारत की संसद में महिलाओं की सहभागिता मात्र 11.6 % है तथा 64% पुरुषों की तुलना में भारत की मात्र 39% महिलाएं माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक ही पहुंच पाती है। श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता मात्र 27.2 % है जबकि पुरुषों की सहभागिता 78.8% है। वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं की औसत सहभागिता 49% पुरुषों की 75% है। मानव विकास सूचकांक के संघटकों में भारत की प्रणाली को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। (श्रीवास्तव, 2011)

मानव विकास सूचकांक के संघटकों में भारत की प्रणाली

वर्ष	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष	विद्यालयी शिक्षा के माध्य वर्ष	प्रति सकल राष्ट्रीय आय (अमरीकी डॉलर में)	मानव विकास सूचकांक का मान
1990	57.9	7.6	3.0	1733	0.427
1995	60.4	8.2	3.5	2015	0.460
2000	62.6	8.3	4.4	2470	0.493
2005	64.6	9.7	4.8	3157	0.535
2010	66.6	10.8	5.4	4357	0.581
2015	68.3	12.0	6.3	5691	0.627
2019	68.9	12.3	6.4	6829	0.640

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई। जहां 1990 में जीवन प्रत्याशा 57.9 थी वह बढ़कर 2019 में 68.9 हो गयी है। विद्यालय शिक्षा में भी अपेक्षित वर्ष में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जहाँ 1990 में 1733 अमरीकी डॉलर थी वह बढ़कर दो दशक में तीन गुने से भी अधिक वृद्धि होकर 2019 में 6829 डॉलर हो गयी है। जो एक प्रगति का सूचकांक है। फिर भी भारत की स्थिति अन्य देशों से काफी कमजोर है।

मानव विकास की सूचकांक की सीमाएँ— मानव विकास सूचकांक की अपनी कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नानुसार हैं।

1. मानव विकास सूचकांक तीन संकेतकों को आधार मानकर अध्ययन करता है आलोचकों का मानना है कि शिशु मृत्यु दर पोषण आदि अन्य सूचक भी हो सकते हैं।
2. मानव विकास सूचकांक निरपेक्ष की बजाय सापेक्ष मानव विकास का मापन करता है ताकि कोई देश समान भारत दर से अपने विकास मूल्य को सुधार ले। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सुधार का पता नहीं चलता है।
3. यह अनुभव किया जाता है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी श्रेणी लेने की वैकल्पिक धारणा और इसके अन्य सामाजिक संकेतों से सहायता करना बेहतर परिणाम उपलब्ध करेगा।
4. प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार यह परिपथ को सूचक है जो एक सरल संख्या में मानव विकास और वचन के एक जटिल यथार्थ को पकड़ने का प्रयत्न करता है।
5. सूचकांक में भारत का प्रयोग पूर्णतया स्वैच्छिक है।
6. किसी देश का एच डी आई वहां पाई जाने वाली उच्च असमानता का ध्यान हटा सकता है।

सारांश में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव विकास सूचकांक लोगों के जीवन की गुणवत्ता का मापदंड है इसके अतिरिक्त यह सूचक लोगों के कल्याण को मापने का राष्ट्रीय आय से एक श्रेणी श्रेष्ठ मापदंड है इसके अतिरिक्त मानव विकास सूचकांक वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी तक ही सीमित नहीं है। (लेखी.2016)

संदर्भ

1. अहुजा एचएल (2006), समष्टि अर्थशास्त्र—एस चंद एण्ड कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, पेन 206
2. श्री वास्तव मोहन प्रसाद, (2011) विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन—एनी बुक्स प्राइवेट लि.ए दरिया गज, नई दिल्ली, पेन 867,882,
3. लेखी आरके (2016), आर्थिक विकास व योजनाएँ—कल्याणी पब्लिकेशंस लुधियाना, नई दिल्ली, पेन 22
4. द्रदत्त एवं सुन्दरम के.पी.एम(2002), भारतीय अर्थव्यवस्था—रुएस चन्द्र एवं कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, पेन. 41,53
5. वार्षिक प्रतिवेदन(2019)— मानव विकास सूचकांक

□□□

भारत में भाषा नीति: समस्या एवं समाधान

पिन्दु शर्मा

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम होने के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक भी मानी जाती है। भाषा किसी समुदाय विशेष की पहचान भी होती है। सुमित्रानन्दन पंत ने भाषा को संसार का नाद में चित्र बताते हुए भाषा की कहानी को मानव जाति का इतिहास बताया है।

प्रस्तुत लेख में भाषा का विभाजन प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा मातृभाषा राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में किया गया है। वैज्ञानिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय भाषा की दरकार होती है इस हेतु उसे सरकारी प्रश्रय तथा संरक्षण भी मिलना जरूरी है।

देश को आजाद हुए 73 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु आज भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज मातृभाषा हिंदी की जगह अंग्रेजी में हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति बुद्धि डिस्पैच कोठारी कमीशन तथा गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में भी भाषा नीति संबंधी कई तथ्य मौजूद हैं। देश में भाषा नीति के संबंध में राधाकृष्णन आयोग मुदालियर आयोग कोठारी आयोग तथा शिक्षा नीति 1986 में भी अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। साइन लैंग्वेज का मानवीकरण भी आवश्यक है। भाषा समस्या के निवारण में त्रिभाषा फार्मूला मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुभाषी भारत की संकल्पना आज समय की पुकार है।

प्रस्तावना

भाषा किसी समुदाय विशेष की अस्मिता या पहचान होती है और कोई भी समुदाय अपनी भाषायी पहचान का सरलता से परित्याग नहीं करता। जब तक कोई राजनीतिक हित या धार्मिक हित का प्रश्न सम्मुख नहीं आता, भारतवासी एक भाषा, एक भौगोलिक परिधि, एक समुदाय, एक धर्म एवं एक संस्कृति आदि के विवादास्पद चक्रव्यूह से दूर ही रहते हैं, और इस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाषायी विविधता का सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन भाषा ही होती है। भाषा विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानान्तरित करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत विभिन्न भाषायी लोगों का देश है। यही कारण भाषायी विभिन्नता, क्षेत्रीयवाद तथा पृथकतावाद के लिये उत्तरदायी है।

भाषा विचारों को दूसरे तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। इसमें विचार, अनुभूति तथा संदेशों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना चेहरे के भाव, मुख मुद्रा कला आदि आता है। बोलना एक भाषा का अंग है और संदेश वहन करने का एक पक्ष है। इसमें ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपने अभिप्राय को व्यक्त किये जाने की क्षमता होती है। भाषा की कहानी को मानव जाति का इतिहास कहा गया है।

संपूर्ण जीव मंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा से समझ बनाने का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा मनुष्य को जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान प्रदान करती है। भाषा एक मानवीय कला कृति है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है अपितु ध्वनियों, शब्दों तथा बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुँची है। भाषा को यदि प्रकृति की देन मानते हैं तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है।

भाषा भावों एवं विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मानव इतना उन्नत प्राणी बन सका है बुद्धि तथा विचार चिन्तन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। मुँह के अंगों की सहायता से विविध प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण उत्पन्न करता है जिससे अक्षर तथा शब्दों का प्रकटीकरण करता है। (चतुर्वेदी डॉ शिखा, 2007)

भाषा के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत रखे हैं जो निम्न हैं:- सुमित्रानन्दन पंत के अनुसार - "भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व के हृदयतंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है।"

क्रोच के अनुसार "भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है।"

काव्यादर्श के अनुसार - "यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होना, तब यह समस्त संसार अन्धकारमय हो जाता है।"

मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को भली भाँति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। संकेतों से अशाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों से भाषा बनती है निरर्थक ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता है। भाषा के प्रमुख तत्व, ध्वनियों, संकेत तथा चिह्न होते हैं, परन्तु विशेष रूप से शब्द और सार्थक शब्द-समुह ही उसमें सम्मिलित किए जाते हैं।

भाषा के विविध रूप

भाषाओं की संख्या तो असंख्य है, संसार में कितनी भाषायें हैं इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है। इस दृष्टि से भारत विविधता का राष्ट्र है। यह भारत की विशेषता है कि विविधता में भी एकता है। यूरोप जैसे महाद्वीप के प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। अर्थात् यूरोप का विभाजन भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत में क्षेत्रीय

एवं प्रादेशिक रूप है जैसे बांग्ला - बंगाल प्रदेश, पंजाबी - पंजाब प्रदेश, राजस्थानी - राजस्थान प्रदेश आदि।

(पाठक, 2011)

भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने इसका विभाजन पाँच वर्गों में किया है—

1. **प्राचीन भाषा**— इसके अंतर्गत उन भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्राचीन भारत में प्रयुक्त की जाती थी परन्तु आधुनिक समय में इनका उपयोग नहीं होता है। प्रमुख प्राचीन भाषायें - संस्कृत, पाली, पाकृत और अपभ्रंश हैं।
2. **संस्कृत भाषा**— संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है। यह भाषा ही नहीं अपितु भाषाओं की जननी है शिक्षा की दृष्टि से संस्कृत भाषा का महत्व विशेष माना जाता है। संस्कृत प्राचीन भारतीय साहित्य की भाषा है। वेद, उपनिषद् तथा महाकाव्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसका प्रभाव भारत के उत्तर तथा दक्षिण प्रदेशों की भाषाओं पर है। भारतीय जीवन में धार्मिक, सामाजिक, विधि विधानों और संस्कारों की भाषा संस्कृत ही है। आज भी सभी प्रकार के अनुष्ठान तथा संस्कार संस्कृत में ही किए जाते हैं। यद्यपि यह बोलचाल की भाषा नहीं है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने की अपूर्व शक्ति संस्कृत भाषा एवं साहित्य में है। यूरोप में ग्रीक तथा लेटिन का जो स्थान है वह संस्कृत भाषा का भारत में है।
3. **मातृ-भाषा**— माता-पिता से सीखी हुई भाषा ही मातृभाषा है। बालक माता - पिता से स्थानीय या क्षेत्रीय बोली ही सीखता है जिसका लिखने में प्रयोग नहीं होता है। लिखने की भाषा परिष्कृत होती है। इसी परिष्कृत भाषा के माध्यम से सभी कार्य होते हैं, तथा विद्यालयों में शिक्षण कराया जाता है साथ ही साहित्य का सृजन भी होता है, इसे मातृभाषा कहा जाता है। किसी विशिष्ट प्रदेश या क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। बालकों को शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए क्योंकि इससे तथ्यों एवं प्रत्ययों को बोधगम्य करना सरल होता है।
4. **राष्ट्र भाषा**— मातृ भाषा के बाद राष्ट्र भाषा का प्रमुख स्थान है। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जिसका संविधान में उल्लेख किया जाता है। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझ लेती है उसे राष्ट्र भाषा कहा जाता है।
हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा का गौरव पूर्ण स्थान प्रदान किया गया परन्तु प्रादेशिक सकीर्णता के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। दुर्भाग्य यह है विदेशी भाषा (अंग्रेजी) को अपनाने में संकोच नहीं है परन्तु हिन्दी को अपनाने में आपत्ति हो रही है।
5. **अन्तरराष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा**— आज वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी विकास ने विश्व के राष्ट्रों का एक दूसरे के अधिक समीप ला दिया है और कोई भी राष्ट्र अकेला रह कर जीवित नहीं रह सकता है। एक राष्ट्र की गतिविधियाँ अन्य

राष्ट्रों को प्रभावित करती है। इसलिए विश्व के राष्ट्रों से सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए ऐसी भाषा की आवश्यक होती है जिससे विश्व के राष्ट्र आपस में विचारों व नीतियों का आदान-प्रदान कर सकें। जिस भाषा के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे देश से अपने विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम हो, उसे अन्तरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विश्व के राष्ट्र आपस में सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। उसे विश्व की भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा ने विश्व का गौरव पाया है। अंग्रेजी को विश्व की खिड़की कहा जाता है जिसके माध्यम से विश्व राष्ट्रों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय-भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक विकास एवं आविष्कारों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विकसित राष्ट्रों के ज्ञान-विज्ञान का लाभ विकासशील राष्ट्र उठाते हैं। अंग्रेजी भाषा को युगों से यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। (शर्मा, 2007)–

भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता

भारत की अपनी संस्कृति एवं मान्यताएँ रही हैं। यह बहुभाषी देश होते हुए भी यहाँ एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं रहा है जबकि यूरोप के राष्ट्रों का आधार भाषा रही है। भारत का प्रत्येक भाषायी समुदाय सुरक्षित है और उनमें आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहा है। हिन्दी के राज भाषा होने पर भी वे अपनी मातृभाषा को इसलिए नहीं खो सकती कि हम सबकी परम्पराएँ व संस्कृति के स्त्रोत एक ही हैं। भारत में भाषाओं की भूमिका या पृष्ठभूमि यूरोप एवं अमेरिका से भिन्न है, इसलिए भारतीय भाषाओं में आपस में न द्वेष है न ही कटुता।

भाषा का सापेक्षिक महत्व सरकारी प्रश्रय व संरक्षण से ही बढ़ता है। चूँकि अंग्रेजी बोलने वालों का आजीविका एवं आर्थिक साधनों पर अधिकार है, इसलिए अंग्रेजी का ग्रहण स्वतः है। हमारे देश में भी जीविका या अच्छी नौकरियों की प्रमुख भाषा अंग्रेजी होगी तो कुछ भी कहे, हिन्दी और भारतीय भाषाओं का स्थान गौण ही रहेगा।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम के निर्धारण ने भाषा के प्रश्न को जटिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा-विवाद यह है कि शिक्षा का माध्यम (विशेषतः उच्च कक्षाओं में) अंग्रेजी हो या मातृभाषा हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएँ हो। स्वतंत्र भारत के संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान प्रदान किया और यह भी निश्चित किया कि सन् 1965 तक अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजकीय काम-काज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा। परन्तु इस बहु भाषी देश में ऐसा अभी तक संभव नहीं हो सका।

भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत में एक अजीब किस्म की साम्प्रदायिकता को जन्म दिया जिसने राष्ट्रीय एकता के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। आज की राजनीति, इस दुखद स्थिति को समाप्त करने के प्रति प्रयत्नशील नहीं है।

संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला। परन्तु राजनीतिक कारणों से हिन्दी को साम्राज्यवाद का खतरा बताकर भारत की भाषा - समस्या को नया और भयावह मोड़ दे दिया

गया। राजनेताओं ने अपने स्वाधौ की पूर्ति हेतु इस प्रश्न को जटिल बना दिया है।

स्वतंत्र भारत में भाषा की सर्वप्रमुख समस्या राज भाषा तथा राष्ट्र भाषा के रूपों के टकराव की समस्या है। हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों यानि उत्तर भारत में तो अपनी नीतियों में हिन्दी को अपनी राज्य भाषा स्वीकार कर अपना काम-काज हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है और इन राज्यों में राज-भाषा एवं राष्ट्र भाषा के मध्य कोई टकराव नहीं है। परन्तु कुछ ऐसे अहिन्दी भाषी राज्य हैं जो हिन्दी को राज-भाषा न मानकर अपनी मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) को ही राज भाषा स्वीकार करते हैं, किंतु केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करने के लिए वे हिन्दी को वरीयता न देकर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना चाहते हैं। दक्षिण वासियों का हिन्दी-विरोधी दृष्टिकोण अभी कम नहीं हुआ है।

एक ओर हिन्दी भाषी क्षेत्र सविधान का अनुपालन कराने की बात कहकर हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा का पद दिलाने को आत्म-प्रतिष्ठा का प्रश्न बना बैठे हैं तो दूसरी ओर दक्षिण भारतीय अंग्रेजी के प्रबल समर्थक बने हुए हैं। ऐसी दशा में तब तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही राष्ट्र भाषा पद पर चलती रहें जब तक अहिन्दी भाषी भली प्रकार हिन्दी न सीख लें। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस छूट की आड़ में अहिन्दी भाषी हिन्दी सीखे ही नहीं।

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा समस्या

भारतीय शिक्षा के इतिहास को अगर हम देखें तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मैकाले के विवरण पत्र से होती है। जिसमें मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इनको बन्द कर दिया जाय। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाय। इसके पाश्चात्य 'वुड के आदेश पत्र' (Wood's Dispatch) द्वारा 19 जुलाई, 1854 ई को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। इसमें अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए देशी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक माना। इस प्रकार, अंग्रेजी और देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया।

ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 1837ई. में लार्ड आकलैण्ड द्वारा भारत में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राज काज की भाषा बनाया गया तथा लार्ड हार्डिंग ने राजकीय सेवा में अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने की घोषणा की। इस तरह सन् 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है।

सन् 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के विषय में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया। उसने केवल यह कहा कि मिडिल स्कूलों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक वाछनीय है, पर छात्रों को अंग्रेजी का भी कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। यह विचार व्यक्त करके आयोग ने हाई स्कूलों के अतिरिक्त मिडिल स्कूलों में भी शिक्षा के रूप में अंग्रेजी का पक्ष लिया।

19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक भारत सरकार अपनी नीति के अनुसार, अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार में सलग्न थी। सन् 1937 में, मारवाड़ी हाईस्कूल (वर्तमान नव भारत स्कूल) वर्धा में उसकी रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर को होने वाला था। उस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज-सुधारकों को आमंत्रित किया गया और 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा -सम्मेलन' का गाँधीजी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। महात्मा गाँधी ने 'बेसिक शिक्षा' की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत की।

गाँधीजी ने मैट्रिक के स्तर तक अंग्रेजी रहित, उद्योगों पर आधारित और मातृभाषा द्वारा सात वर्ष की स्वावलम्बी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए, उसके साहित्य का विनाश जरूरी हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुगमन करके, अंग्रेजों ने हमारे देश में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है।

स्वतंत्र भारत में आयोग तथा उनके द्वारा भाषा नीति के संवध में दिये गये सुझाव :-

1. तारा चन्द समिति 1948ई.- सन् 1948 में भारतीय सविधान नहीं बना था और संघीय भाषा के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ था। इस बात को ध्यान में रखकर 'ताराचन्द समिति' ने यह सुझाव दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात् मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य बना दिया जाय। दूसरे शब्दों में 'समिति' ने माध्यमिक स्तर पर दो भाषाओं के अध्यापन का सुझाव दिया -

अ. मातृभाषा ब. अंग्रेजी या संघीय भाषा

2. राधाकृष्णन आयोग (1948-49ई.)- इस आयोग का सुझाव था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाय, यथा -

अ. क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा
ब. संघीय भाषा अथवा मातृभाषा
स. अंग्रेजी

3. मुदालियर आयोग (1952ई.)- इस आयोग ने द्विभाषा-सूत्र प्रतिपादित किया और यह सुझाव दिया कि छात्र को माध्यमिक स्तर पर दो भाषाएँ पढ़ाई जाए -

अ. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम।

ब. निम्ननांति में से चुनी जाने वाली एक अन्य भाषा-

- हिन्दी (उनके लिए जिसकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)

- प्रारंभिक अंग्रेजी (उनके लिए जिन्होंने मिडिल स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है)

- उच्च अंग्रेजी (उनके लिए जिन्होंने पहले अंग्रेजी का अध्ययन किया है)
- हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा।
- अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा।
- एक शास्त्रीय भाषा।

4. कोठारी आयोग (1964) :- इस आयोग ने 'त्रिभाषा सूत्र' प्रतिपादित किया -

- अ. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
- ब. संघ की राजभाषा या सह-राजभाषा

स. एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो नं. (1) और (2) के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो)

त्रिभाषा सूत्र

भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर सन् 1956 में केन्द्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन सन् 1956 में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने किया। उसने सरकार के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित दो सूत्रों का निर्माण किया-

पहला सूत्र :

- अ. मातृभाषा
- ब. क्षेत्रीय भाषा
- स. मातृभाषा और एक क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम
- द. मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम
- य. क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम।
2. हिन्दी या अंग्रेजी
3. एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपियन भाषा, जो (1) और (2) में न ली गई हो।

दूसरा सूत्र :

1. पहले सूत्र के समान।
2. अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा।
3. हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी क्षेत्रों के लिए)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के सम्बन्ध में उस नीति को दोहराया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1968 में स्पष्ट की गई थी।

संक्षेप में इस नीति में निम्न बातों पर बल दिया गया -

- अ. विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम- इस नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में आधुनिक

भाषाएँ अपनाने पर बल दिया गया है। तथापि मातृभाषा जो आठवीं अनु सूची में शामिल किसी आधुनिक भारतीय भाषा से भिन्न हो सकती है, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

ब. त्रिभाषा - सूत्र का क्रियान्वयन- त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में एक के अध्ययन का और अहिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन का प्रावधान है।

स. छात्रों की भाषा- दक्षताओं में सुधार - शिक्षा विभाग के अधीन सभी भाषा संस्थाओं को स्कूल स्तर पर छात्रों की भाषा - दक्षता में सुधार के लिए शामिल किया गया है। ये संस्थान भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण-सामग्री को तैयार करना, भाषा दक्षता जाँच तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में 10 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। भारतीय भाषा संस्थान आधुनिक भारतीय भाषाओं में भाषा प्रवीणता परीक्षणों को तैयार कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

भाषा से जुड़े मुद्दे शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं। भाषा संवाद का माध्यम होने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, समाज और इसके संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने और उसके सम्प्रेषण का माध्यम भी है। बाल-विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। 2-8 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने की गजब की क्षमता होती है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक क्षमता है, जिसको पोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहु-भाषिकता के अनेक फायदे हैं जिनका हमारे जीवन में खासा महत्व है। (सिंह 2007)-

1. मातृ भाषा/घर की भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में- जहाँ तक भी संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन वाछनीय तो यह है कि ग्रेड 8 तक हो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में होने वाले संवाद का माध्यम मातृ भाषा/घर की भाषा/स्थानीय भाषा में होंगे। इसके बाद, स्कूली शिक्षा व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास करेगी कि वे सभी प्रादेशिक भाषाएँ जो बड़े स्तर पर बच्चों की घर की भाषा/मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, उन्हीं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। हालांकि व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे स्कूल भी पर्याप्त संख्या में स्थापित किये जाए जो प्रादेशिक अल्पसंख्यक - भाषाओं में शिक्षा देते हैं।
2. जिनकी भाषा निर्देशों की भाषा से अलग है उनके लिए द्विभाषी पद्धति- शिक्षाक्रम एक लचीली-भाषा पद्धति को बढ़ावा देगा। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा द्विभाषी पद्धति को अपनाने।
3. स्कूलों में तीन या इससे अधिक भाषाओं से ज्ञान- छोटे बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमताओं को पोषित करने और

इन्हें समृद्ध करने के लिए प्री-स्कूल और ग्रेड 1 से ही तीन इससे अधिक भाषाओं का ज्ञान देना शुरू किया जायेगा ताकि ग्रेड 3 तक आते-आते ना केवल इन भाषाओं की लिपि को पहचानने में लगे बल्कि इनमें लिखे बेसिक टेक्स्ट को तो बच्चे निर्देशों के माध्यम से लिखना भी सीखें, लेकिन बाद में धीरे-धीरे अन्य भाषाओं की लिपि से भी उनका परिचय कराया जायेगा।

4. साइन लैंग्वेज का मानकीकरण- इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बधिर बच्चों के लिए शिक्षाक्रम बनाए जायेंगे। स्थानीय साइन लैंग्वेज को भी समान महत्व के साथ देखा जाएगा और जहां कहीं भी जरूरत और इसकी प्रासंगिकता है वहां इसे सिखाया भी जाएगा।
5. स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला की निरंतरता- संवैधानिक प्रावधानों और भारतीय जन, प्रादेशिक क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें त्रिभाषा फॉर्मूला को लगातार बनाए रखना होगा। यह फॉर्मूला अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद से अपनाया गया, बाद में 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में भी इसे अपनाया गया और फिर पुनः NCF 2005 में भी इस पर जोर दिया गया।

हालांकि, यह अब शोध में भी निकल कर आया है कि 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र में बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बहुत ही प्रखर होती है। साथ ही बहु-भाषिकता बच्चों के सज्जानात्मक विकास के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए बच्चों को अब उनके आरम्भिक वर्षों में ही, बुनियादी शिक्षा और उसके बाद, तीन भाषाओं को सिखाया जाएगा।

6. त्रिभाषा फार्मूला का अमल हमारे बहु-भाषी देश में बहु-भाषिक क्षमताओं के विकास और इनके बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फार्मूला को शिदत के साथ अमल में लाया जाएगा। हालांकि इसका हिन्दी भाषी क्षेत्रों में बेहतर अमल किया जाना चाहिए, यहाँ राष्ट्रीय समन्वयक के लिए स्कूलों में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं के शिक्षकों का, इनके साहित्य का ओहदा बढ़ेगा, और हमारे विद्यार्थियों की समझ और दृष्टि को भी व्यापक बनाने में यह मदद करेगा।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे देश की प्रांतीय भाषाओं और खासतौर पर अनुसूची 8 की भाषाओं के पर अच्छी खासी मात्रा में निवेश किया जाएगा। पूरे देश में भारतीय भाषाओं के अध्ययन और इनके बढ़ावों के लिए, और सभी राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने के लिए सभी राज्य अन्य राज्यों के साथ अनुबंध कर सकते हैं जिसके अंतर्गत एक-दूसरे राज्य से भारी मात्रा में भाषा के शिक्षकों की सेवाओं को लिया जा सकेगा।

7. भाषा शिक्षण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति- ऐसे स्थानों पर जहाँ की भाषा बोलने वाले शिक्षकों की यदि वहां कमी है तो विशेष प्रयास किये जायेंगे और विशेष रूप से स्कीम चलाई जायेगी जिसके तहत यहाँ ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया

जायेगा जो यहाँ की स्थानीय भाषा बोल सकते हैं। पूरे भारत में एक देशव्यापी प्रयास किया जाएगा जिसके तहत भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को तैयार किया जायेगा।

8. विज्ञान को दो भाषाओं में सीखना विद्यार्थियों का माध्यम उनको स्थानीय/घर की भाषा है वे ग्रेड 8 या उससे पहले विज्ञान को दो भाषाओं में सीखेंगे ताकि ग्रेड-10 के अंत तक आते-आते वे विज्ञान पर दोनों भाषाओं अपनी स्थानीय या घर की भाषा और अंग्रेजी में बात कर सकें और काम कर सकें।

इससे विद्यार्थियों में विज्ञान के सिद्धांतों और सकल्पनाओं के बारे में चिन्तन करने के एक से अधिक रास्ते और तरीके विकसित होंगे।

इस तरह हम भविष्य के लिये ऐसे वैज्ञानिकों को तैयार कर सकेंगे जो अपने काम को अपने परिवारों, स्थानीय टी.वी. चैनलों, अखबारों, अपने गृह राज्य और शहरों/कस्बों के बच्चों के साथ उनकी भाषाओं में बात कर सकें, उन्हें साझा कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें।

विज्ञान को द्विभाषी होना एक वरदान के समान है, अधिकांश नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एक से अधिक भाषाओं में विज्ञान पर सोचते-समझते रहे हैं। वर्तमान में अनेकों वैज्ञानिक यह कहते पाए जाते हैं कि वे विज्ञान पर अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में चिन्तन करने और बोलने में असमर्थ हैं, और इसके चलते ना केवल उनके सोचने-विचारने की क्षमता बाधित हुई है बल्कि अपने-अपने समुदायों में उनकी पहुँच बाधित हुई है।

बहु-भाषिकता भारत के लिए एक अनिवार्यता है, और किसी भी व्यक्ति के सीखने के अवसरों को समृद्ध करने और उसकी समझ को व्यापक करने में यह एक वरदान है, ना कि कोई बोझ। यदि बच्चों को कम उम्र में ही अलग-अलग भाषाओं का माहौल मिले तो वे बहुत तेजी से इन्हें सीख लेते हैं। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि वे बच्चे जो बहु-भाषी होते हैं। एकल भाषी बच्चों की तुलना में तेज सीखते हैं, और अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं। यह बच्चों को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है, और अपने जीवन में एक से अधिक तरीकों से सीखने और सोचने में सक्षम बनाती है, क्योंकि बहु-भाषिकता के चलते वे अनेक तरह के साहित्य और उनमें प्रयोग होने वाली उपमाएँ, शब्द, अभिव्यक्ति के तौर-तरीके आदि अर्जित कर लेते हैं जो उन्हें बेहतर सवाद और चिन्तन में मदद करते हैं। बहु-भाषी भारत बेहतर शिक्षित और राष्ट्र के रूप में बेहतर संगठित होगा। और तो और, भारत की भाषाएँ दुनिया की सबसे समृद्ध और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक हैं, इनका एक विशाल प्राचीन और आधुनिक साहित्य उपलब्ध है जिससे भारत की राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में मदद मिलेगी।

हम सब जानते हैं कि जिस तरह 1960 के दशक में सोचा जाता था कि अंग्रेजी विश्व की भाषा बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि सभी विकसित देशों को अपनी ही भाषाओं को सभी क्रियाकलापों और शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा इसकी भाषाओं की विविधता, विरासत और इनकी समृद्धता नष्ट हो जायेगी। इसलिए यह आग्रह किया जा रहा है कि भारत में हम अपने सभी रोजमर्रा के व्यवहार

भारत में भाषा नीति: समस्या एवं समाधान

में अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करे, इस तरह इनके प्रचार-प्रसार में सहायता मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कई क्षेत्रों में एक कौमन भाषा पूरे विश्व में बन गयी है, जैसे विज्ञान और कें क्षेत्र में। आज अखिल दर्जे के वैज्ञानिक जर्नल प्रमुख रूप से अंग्रेजी में ही प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो उच्च शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में करना चाहते हैं या जरूरी है कि वे अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा दोनों में ही पारगम्य हों ताकि वे दोनों भाषाओं में धारा-प्रवाह में संवाद कर सकें। ऐसा सभी तकनीक रूप से विकसित देशों में होता है।

सन्दर्भ

1. षतुर्वेदी डॉ शिखा (2007)- हिन्दी शिक्षण आर लाल बुक डिपो मेरठ (पृ स 02)

2. पाण्डेय डॉ रायशकल (2010)- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (पृ स 351)
3. प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (45 मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा)
4. पाठक पी डी (2011)- भारतीय शिक्षा और उसकी समस्या श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (पृ स-64)
5. शर्मा बी एल (2007)- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा आर लाल बुक डिपो मेरठ (पृ स 377)
6. भटनागर सुरेश (2007)- आधुनिक भारतीय शिक्षा, आर लाल बुक डिपो मेरठ (पृ स 35)
7. सिंह डॉ पी वी (2007)-भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, आर लाल बुक डिपो मेरठ (पृ स 96)

आधुनिक हिन्दी कृष्णकाव्य में कृष्ण का बदलता स्वरूप

सरिता वैष्णव

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

जब जब भी देश में धर्म की हानि पराकाष्ठा के स्तर तक पहुँच जाती है, आसुरी शक्तियाँ सुरसा की भाँति मुँह फैलाती हैं। जब आसुरी शक्तियों का आतंक चरम सीमा तक पहुँच जाता है, तब तब ही प्रभु का साकार रूप में प्रकट होकर अपनी लीलाओं के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में द्वापर में श्रीकृष्ण ने अवतार लेकर अपनी लीलाओं द्वारा जनमानस को चमत्कृत किया था। भगवान् कृष्ण ने रासलीला द्वारा पावन प्रेम को प्रतिष्ठित कर धर्म के संस्थापक की भूमिका का निर्वहन किया था। वेदों, पुराणों, श्रीमद्भागवत गीता, जैन व बौद्ध साहित्य में श्रीकृष्ण को अगोचर परमेश्वर एवं सच्चिदानन्द के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आदिकाल भक्तिकाल एवं रीतिकाल में भी कृष्ण का यही रूप दृष्ट्य था। किंतु आधुनिक काल के कवियों ने कृष्ण के परिवर्तित रूप को चित्रित किया है। इन्होंने श्रीकृष्ण को महामानव, समाज सुधारक, श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता, महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, क्रांति के दूत, जननायक तथा लोक रक्षक बताया है। प्रस्तुत आलेख में इन नवीन रूपों के संबन्ध में शोध का विवरण दिया गया है। इस शोध में पौराणिक ग्रंथों के साथ-साथ प्रियप्रवास, भ्रमरदूत, द्वापर, कृष्णायन व कनुप्रिया जैसे ग्रंथों का सदर्थ ग्रंथों के रूप में उपयोग किया गया है। प्रस्तुत निबंध में विभिन्न कालों के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है।

शोध में यह निष्कर्ष निकलकर आया कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में धैर्य, पुरुषार्थ, चिंतन, शक्ति, शुद्ध कर्म, दूरदृष्टि तथा अपार बुद्धिवल था। इन्हीं गुणों के कारण वह मानव से महामानव बने। आलेख में श्रीकृष्ण के उक्त गुणों को विभिन्न प्रसंगों में उचित उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। मसलन एक सौ अपराधों तक शिशुपाल को क्षमा करना, द्रौपदी का चीर हरण, महाभारत युद्ध को रोकने के लिए श्रीकृष्ण द्वारा किए गए अथक प्रयास, सुदामा के साथ मैत्री धर्म निभाना, गोवर्धन पूजा आदि घटनाक्रमों में श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में धैर्य, पुरुषार्थ, प्रखर चित्तक, आदर्श मित्र, गो सेवक, एवं कुशल मार्गदर्शक के गुण प्रतिबिम्बित होते हैं।

प्रस्तावना

भारत की संस्कृति के चारों युग—सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलियुग की धारा निरन्तर प्रवाहित रही है। इनमें त्रेतायुग में राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रकट हुए, वही द्वापर युग के महानायक कृष्ण का व्यक्तित्व एवं चरित्र, सदा श्रेष्ठ व उदात्त रहा है। उनका जीवन अधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण था।

कृष्ण ने जहाँ एक तरफ समाज में प्रेम को प्रतिष्ठित किया वही दूसरी तरफ धर्म के संस्थापक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने धर्म—ग्लानि के युग में अवतार लिया था, जहाँ अधर्म की प्रबलता थी।

अपने जीवन की जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सहज रूप से सामना किया एवं अपने बुद्धिकौशल से निवारण भी किया है। ऐसे कृष्ण का चरित्र हमें वेदों, पुराणों, श्रीमद्भागवतगीता, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अगोचर, परमेश्वर एवं सच्चिदानन्द आदि रूपों में मिलता है। वे ही कृष्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल भक्तिकाल एवं रीतिकाल में भी हमें कुछ-कुछ इन्ही रूपों में दृष्ट्य होते हैं। किन्तु आधुनिक काल के कवियों के कृष्ण का परिवर्तित स्वरूप चित्रित किया है। कृष्ण जो कि पुराणों एवं साहित्यों में परब्रह्म व ईश्वर रूप में दर्शाए गए हैं। वे ही आधुनिक कालीन कवियों द्वारा महामानव, समाजसुधार, श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता, महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, क्रांति के दूत, जननायक, राष्ट्रोद्धारक एवं लोकरक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए भी चरितार्थ हुए हैं। यहाँ कृष्ण को विशेषतः एक साधारण एवं

महामानव स्वरूप में कवियों द्वारा वर्णन किया गया है, जिस स्वरूप से हम सभी भी अनभिज्ञ थे। अतः उनकी काव्य कृतियों में बताए गये उपर्युक्त नवीन स्वरूपों की प्रस्तुति अभी अपर्याप्त है, इसकी पूर्ति हेतु ये शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस शोध कार्य में मौलिक रूप में चित्रण करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों एवं कृष्ण प्रेमियों के लिये लाभप्रद एवं शिक्षाप्रद रहेगा।

समस्या कथन

आधुनिक हिन्दी कृष्ण काव्य में कृष्ण का बदलता स्वरूप।

उद्देश्य

1. चारों वेद पुराणों ग्रन्थों, विशेषतः श्रीमद्भागवत गीता—महापुराण, उपनिषदों, आदि में वर्णित भगवान् श्रीकृष्ण के स्वरूपों का चित्रण करना।
2. जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, आलवार सन्त साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत—अपभ्रंश साहित्य एवं हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन हिन्दी काव्य में कृष्ण के स्वरूप का विवेचन करना।

आधुनिक काल के कृष्ण सम्बन्धी काव्य एवं कवियों की जानकारी के साथ ही विशेषतः अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के महाकाव्य 'प्रियप्रवास' सत्यनारायण कविरत्न की रचना 'भ्रमरदूत', मैथिलीशरण

आधुनिक हिन्दी कृष्णकाव्य में कृष्ण का बदलता स्वरूप

गुप्त की रचना 'द्वापर', द्वारकाप्रसाद मिश्र का महाकाव्य 'कृष्णायन', धर्मवीर भारती की रचना 'कनुप्रिया' एवं गुलाब कोठारी का खण्डकाव्य में ही राधा में ही कृष्ण इन काव्यों में आये कृष्ण का स्वरूप चित्रण करना।

परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य में पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ ही विशेषतः प्रियप्रवास, भ्रमरदूत, द्वापर, कृष्णायन, कनुप्रिया एवं में ही राधा में ही कृष्ण आदि का पूर्ण अध्ययन किया गया है।

न्यादर्श

न्यादर्श हेतु प्रस्तुत आधुनिक कवियों के छः काव्यों में विशेषतः कृष्ण के स्वरूप पर अध्ययन किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत काव्य में प्रियप्रवास एवं कृष्णायन, की टीकाओं के साथ भ्रमरदूत, द्वापर, कनुप्रिया आदि काव्यों की व्याख्या सम्बन्धित पुस्तकों का अध्ययन किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, प्राकृत-अपभ्रंश, साहित्य एवं हिन्दी साहित्य के मध्य कालीन एवं उत्तर मध्य कालीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन एवं इन्हीं के साथ आधुनिक कृष्ण कवियों के साहित्य का भी तुलनात्मक अध्ययन।

व्याख्या

आधुनिक कवियों ने अपने कृष्ण भक्ति सम्बन्धी काव्यों के अन्तर्गत अपने विचारानुसार नयी संस्थापनाएँ की हैं, जिनके अन्तर्गत कृष्ण का स्वरूप युगानुरूप परिवर्तन हुआ है। पुराणों एवं महाभारत के कृष्ण की तुलना में आज का कृष्ण एक साधारण मानव होते हुए भी कई अलौकिकताएँ लिए हुए है। वे अब सिर्फ यशोदा के नटखट लाला, माखनचोर, अन्त, अगोचर, परब्रह्म, राधा को प्रिय, ब्रज का उद्धार करने वाले, लोकोपकारक, लोकमंगल, जनमनरजक मानवतावादी, कुशल-राजनीतिज्ञ, उदार चरित्र से युक्त, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिकता को साथ लिए हुए, दूरदृष्टा, गीतोपदेष्टा एवं श्रेष्ठ प्रबन्धक आदि गुणों से युक्त उनके लीला के अनुरूप अनेक स्वरूपों में चित्रित हैं। अतः आधुनिक कवियों के कृष्ण काव्य में हुए कृष्ण के इन परिवर्तित स्वरूपों को चित्रित करना ही प्रस्तुत शोध का महत्त्वपूर्ण पक्ष रहा है।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में आधुनिक कृष्ण काव्य में नटखट लाला (कृष्ण) अपने नटखटपन के साथ ही समाज सुधारक, क्रान्तिदूत, कुशल राजनीतिज्ञ, लोकोपकारक, महामानव, राष्ट्र के उद्धारक आदि रूप में जनता का मार्ग प्रशस्त करने वाले मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जिस प्रकार अधर्म से ग्रस्त महामारत के युग में लीला पुरुषोत्तम कृष्ण ने अदम्य धैर्य, पुरुषार्थ

तथा बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी विचित्र लीलाओं एवं चरित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज तथा धर्म के विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करते हुए, अपना आदर्श एवं महामानव स्वरूप प्रस्तुत किया, उसी प्रकार प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध भारतीय संस्कृति से विमुख, नैराश्यपूर्ण, दुःख-सागर में निमग्न कुण्ठित जीवन से ग्रस्त आज के मनुष्य को जीवन के आदर्श पुरुष भगवान श्री कृष्ण (जो अपने कर्मों से मानव से ईश्वर बनें) से अपने जीवन में धैर्य, पुरुषार्थ, चिन्तनशक्ति, शुद्ध कर्म, दूरदृष्टि एवं बुद्धिबल नामक गुणों के विकास के साथ लक्ष्यप्राप्ति में बाधक बड़ी से बड़ी विपत्तियों का डटकर सामना करने की शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ उपरोक्त श्री कृष्ण के जो भी गुण दर्शाए गए हैं, मैं उनको उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वास्तव में श्री कृष्ण इन सभी गुणों की खान थे। सर्वप्रथम हम धैर्य को ही ले। कृष्ण इतने धैर्य को धारण करने वाले थे कि भरी हुई समा में जहाँ युधिष्ठिर ने कृष्ण को ही प्रथम पूज्य मानकर उनके चरणों की पूजा करनी चाही, वही पर शिशुपाल द्वारा कृष्ण को 100 अपशब्द बोलने पर भी कृष्ण ने धैर्य रखा, परन्तु 101 वें अपशब्द के बाद ही अपने प्रण को स्मरण में रखकर उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी गर्दन काट दी। इसके पश्चात् उनके पुरुषार्थ की बात आती है, उनके जैसा पुरुषार्थी वर्तमान समय तक कोई नहीं हुआ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ अपने जीवन को जीने वाले एक मात्र पुरुष थे। द्रोपदी के चीर-हरण के समय उनके पाँच पतियों एवं समा में बैठे महारथियों यहाँ तक भीष्म पितामह द्वारा भी उनकी सहायता नहीं की गई उस समय अप्रत्यक्ष रूप से परमात्म तत्व के साथ ही अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर ही श्रीकृष्ण ने द्रोपदी के चीर की लाज रखी थी। चिन्तन शक्ति इतनी तीव्र की कोई अदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। कौरव- पाण्डव के युद्ध को रोकने का अथक प्रयास किया, किन्तु युद्ध होना तय ही था। यह जानकर सत्य अर्थात् पाण्डवों का साथ दिया। अपनी चिन्तन शक्ति द्वारा ही उन्होंने इस धर्मयुद्ध में अपनी सेना को कौरवों की तरफ रखा और स्वयं पाण्डवों की तरफ आ गए।

हर प्रकार से अपने कर्मों में शुद्धता रखने वाले वे कर्म के महाघनी थे। स्वयं द्वारकाधीश थे फिर भी मित्रता निभाने द्वार पर आए अपने मित्र सुदामा से मिलने नगे पैर दौड़ गए, और राज्यसभा में उन्हें सिंहासन पर बिठाकर स्वयं उनके चरणों को धोया। दूरदृष्टि में निपुणता ऐसी कि इन्द्रपूजा को छोड़, गायों के रक्षक एवं सरक्षक बन, गौवर्धन पूजा को महत्त्व दिलाया। क्योंकि दुग्ध, घी, मक्खन, पनीर आदि खान-पान शरीर के लिए एक सम्पूर्ण भोजन होता है। क्योंकि इसके साथ ये खादयान व्यावसायिक रूप से मुख्य बनाया जा सकता है। उस समय गोकुल के लोग धनी हो गये थे। यह उनकी नयी महत्त्वपूर्ण दूरदृष्टि थी। बुद्धिबल हेतु तो श्रीकृष्ण का कोई सानी नहीं। जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे उस समय गुरु द्रोणाचार्य का वध किए बिना युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल था। तब श्री कृष्ण ने ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य का वध कराया। अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवाया और सत्यवादी एवं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुजरो!" कहलवाया। अश्वत्थामा अर्थात् अपने पुत्र के प्रेम एवं उसके मरने के गम में द्रोणाचार्य द्वारा युद्ध न करना और उसी अवस्था में अर्जुन द्वारा द्रोणाचार्य का वध करना। ये सभी कार्य भी श्रीकृष्ण के बुद्धिबल को ही प्रदर्शित

करते हैं। इस प्रकार यह शोध प्रबन्ध समाज, जाति तथा राष्ट्र की एकता, अखण्डता बनाने में सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। अपने कर्मों में श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता लाने के महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करता है। अतः शिक्षा जगत् के इतिहास के विकास में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध परम उपादेय सिद्ध होता है।

संदर्भ

1. उपाध्याय अयोध्या सिंह "हरिऔध" : प्रियप्रवास (खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य) हिन्दी साहित्य कुटीर, वारणसी, दशम, संस्करण, 2016

2. कोठारी गुलाब "मैं ही राधा मैं ही कृष्ण" (खण्ड काव्य), पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, 2009
3. मिश्र द्वारकाप्रसाद "कृष्णायन", भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, 1964
4. भारती धर्मवीर "कनुप्रिया", भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (प्र संस्करण, 2008)
5. गुप्त मैथिलीशरण : "दवायर", साहित्य सदन, झाँसी, संस्करण 2008
6. हरि(स) वियोगी : "ब्रजमाधुरी सार", भ्रमरदूत (सत्यनारायण कविरत्न) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सं. 1987



आधुनिक प्रदूषण

शिव नारायण शर्मा

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

आज गरीबी बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ता प्रदूषण समूची मानवता के लिए अभिशाप बने हुए हैं यह समस्याएं विश्व के किसी भी देश में कम या अधिक मात्रा में विद्यमान हैं आज हमारी वायु, जल, भूमि प्रदूषित हो चुके हैं प्रदूषण मानव जनित समस्या है अतः हम इसे उपभोग करने तथा रोकने के उपायों पर अमल करना चाहिए अन्यथा जैव मंडल में अदृश्य एवं पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो मानवता के लिए गंभीर चुनौती सिद्ध होंगे प्रस्तुत आलेख में प्रदूषण के प्रकारों प्रदूषण की प्रक्रिया तथा प्रदूषण रोकने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है राजस्थान के संदर्भ में भी विशेष जानकारी दी गई है प्रदूषकों को मुख्यतः और विघटनकारी तथा जैविक घटक प्रकारों में विभाजित किया गया है यद्यपि वायु एवं जल में प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक है साथ ही ध्वनि प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण तथा भारी धातु व तापीय प्रदूषण पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है आलेख में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी तकनीक का उल्लेख किया गया है आलेख में देश की पवित्र गंगा के प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ कल कारखानों के उपायों पर भी चर्चा की गई है प्रदूषण के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी देने वाला यह एक महत्वपूर्ण आलेख है।

प्रस्तावना

आज वातावरणीय प्रदूषण मानव के लिये गंभीर संकट बना हुआ है। विश्व के प्रत्येक कोने में यह प्रदूषण किसी न किसी मात्रा में मौजूद है। प्रदूषण परिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) पर लगने वाला एक अतिरिक्त प्रतिबल है जो वहां की संवेदनशील जातियों को प्रभावित करता है। वातावरणीय प्रदूषण दल (यू.एस.ए.) 1965 के अनुसार उर्जा परिवर्तन, विकिरण स्तर, रासायनिक एवं भौतिक वस्तुओं के निर्माण और जीवों की अधिकता के कारण उत्पन्न उपजात ही मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं अथवा जल, कृषि और अन्य जैविकों द्वारा मानव को प्रभावित करते हैं।

वैज्ञानिक चन्द्र प्रकाश के अनुसार "प्रदूषण का प्रश्न गुणात्मकता के साथ-साथ संख्यात्मकता का भी प्रश्न है।" किसी रसायन की एक सान्द्रता किसी स्थान विशेष को प्रदूषित कर सकती है तो दूसरी ओर उसी पदार्थ की उतनी ही सान्द्रता अन्य स्थान के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण का मापन किया जाय, उसको पूरी तरह पहचाना जाए और उसे रोकने के भागीरथ प्रयत्न किये जायें।

प्रदूषण की प्रक्रिया

जीवधारियों की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर प्रदूषण के कोई चिह्न विद्यमान नहीं थे। उस समय प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं में एक पूर्ण सन्तुलन था। प्रदूषण की इस समस्या का जन्म सभ्यता के विकास एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ हुआ और आज यह समस्या विश्व के विचारकों के सामने गंभीर समस्या बनी हुई है।

वातावरणीय समस्यायें विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ उत्पन्न हुईं। जंगलों को कटवाने से वनस्पतियों एवं अन्य प्राणियों की अनेक जातियों को नष्ट करने का अवसर सामने आया। सुनिश्चित सिंचाई योजना के अभाव में भूमि का उसरपन बढ़ा।

जन्तुओं के अपशिष्ट पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होकर सरलतम पदार्थों में टूटते रहते हैं। लेकिन वाहितमल साधारण विधियों से विघटित नहीं हो पाता है। अतः बड़े-बड़े शहरों में इसे झीलों अथवा नदियों में डाल दिया जाता है जहाँ यह जल को प्रदूषित करके वहाँ की वनस्पति और जीवजन्तुओं को प्रभावित करता है।

औद्योगीकरण ने भी प्रदूषण की समस्या पैदा की। कारखानों से निकलने वाले धुएँ ने वायु को दूषित किया। तैलीय अवशिष्ट के कारण जल प्रदूषित हुआ, जिनके कारण अनेक मछलियाँ एवं वनस्पतियाँ नष्ट हो गईं। तैराकों के लिये भी यह जल उपयुक्त नहीं रहा।

यहाँ हम विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रदूषण संकट के बारे में चर्चा करेंगे। (एकलव्य)

प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ दो भागों में बाँटे जा सकते हैं :-

- 1- Non-degradable Pollutants (अविघटनकारी)
- 2- Bio-degradable Pollutants (जैव विघटनकारी)

प्रथम श्रेणी के पदार्थ नष्ट किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ मरक्यूरिक लवण और डी.डी.टी. जन्तुओं के शरीर में बिना नष्ट हुए बने रहते हैं। भोजन श्रृंखला के द्वारा ये पदार्थ अन्य जन्तुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं और वहाँ अपना घातक प्रभाव डालते हैं।

दूसरी श्रेणी के प्रदूषित पदार्थ जीवों द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ जन्तुओं के उत्सर्जित पदार्थ। यौगिकों की निम्नलिखित श्रेणियों से हम भली प्रकार परिचित हैं जो प्रदूषण फैलाने में सहायक हैं।

- अ. हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक :- इसमें हैलोजनयुक्त पेस्टीसाइड्स, ज्वाला अवरोधक एवं विभिन्न विलायक आते हैं।
- ब. प्लास्टिक और उससे सम्बन्धित यौगिक :- इसमें प्लास्टीसाइजर, स्टेवीलाइजर आदि आते हैं।

- स. तेल और उससे सम्बन्धित उत्पाद :- इसमें बहुकेन्द्रीय हाइड्रोकार्बन, विषम चकीय यौगिक, तेल तथा उसके उपजात आते हैं।
- द. पेस्टीसाइड्स
- य. भारी धातु :- इसमें भारी जैसे सीसा, जस्ता पारा आदि आते हैं।
- र. औद्योगिक उपजात।

प्रदूषण के प्रकार (Types of Pollution)

प्रदूषण के पाँच प्रकार हैं—(1) वायु प्रदूषण, (2) जल प्रदूषण, (3) ध्वनि प्रदूषण, (4) रेडियो धर्मी प्रदूषण, (5) ठोस अवशिष्टों द्वारा प्रदूषण।

1. वायु प्रदूषण

हमारी पृथ्वी की सतह से एक मील ऊँचाई तक वायु का घना आवरण है। वायु में बहुत सारी उपयोगी गैसें जैसे ऑक्सीजन (21 प्रतिशत), नाइट्रोजन (78 प्रतिशत), कार्बनडाइऑक्साइड (0.03 प्रतिशत), ओजोन हाइड्रोजन आदि पाई जाती हैं।

जब वायु में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य गैसों की मात्रा बढ़ती है अथवा वायु में ठोसकणों की मात्रा बढ़ती है तो वायु प्रदूषण फैलता है। मेट्रोपॉलीज आफिस, पूना के अनुसार औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की वृद्धि से भारत में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। व्यक्ति अम्लता का शिकार होता जा रहा है। मथुरा के शोधक कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से ताजमहल भी प्रदूषित हो रहा है।

धूल, माइकोबस, अन्य गैस और ताप आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक हैं।

गैस और वायु प्रदूषण :- कार्बनमोनोक्साइड एक विषैली गैस है। कार्बन के अपूर्ण दहन द्वारा यह गैस बनती है। यह गैस श्वसन द्वारा हमारे रुधिर के हिमोग्लोबिन से मिलकर 'कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन' नामक जटिल यौगिक बनाती है जिससे रुधिर शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में असमर्थ हो जाता है। अन्ततोगत्वा मनुष्य बेहोश होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। वैज्ञानिक इस गैस को मीठी नींद द्वारा मौत का फदा डालने वाली गैस भी कहते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। स्वचालित यंत्रों एवं जलते हुए कोल से विमुक्त होने के पश्चात् यह गैस वायु की नमी से मिलकर गंधक का तेजाब बनाती है। गंधक के तेजाब की यह वृद्धि वायु में उपस्थित धूल के कणों से मिल जाती है। वहाँ यह पदार्थ यकृत के उत्तकों का क्षय करते हैं। यह प्रभाव सर्वप्रथम न्यूयार्क के अन्दर अगस्त 1970 में देखा गया।

नाइट्रोजन-डाइ-ऑक्साइड गैस मनुष्यों में श्वसन सम्बन्धी रोग उत्पन्न करती है। बिहार की सुगंधित पदार्थों को बनाने वाली फॅक्ट्रियों से निकलने वाले पदार्थ वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये पदार्थ कारखानों के आसपास बसने वाले व्यक्तियों की वृद्धि और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

श्रीराम केमिकल्स, कोटा द्वारा निकलने वाली सल्फरडाइऑक्साइड गैस से उसके आसपास की वनस्पति नष्ट हो रही है।

शहरों में रेसाईघर में जलने वाली गैस द्वारा श्वसन सम्बन्धी रोग फैलते हैं।

धूल और प्रदूषण :- धूल भी प्रदूषण फैलाने वाला प्रमुख घटक है। चंडीगढ़ शहर पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के खेतों से आधी द्वारा लाई गई मिट्टी से प्रदूषित हो जाता है। चंडीगढ़ में धूल कणों की मात्रा का अध्ययन सी.एस.आई.ओ. (Control Scientific Instruments Organisation) द्वारा किया गया और यह पाया गया कि ये कण विभिन्न प्रकार के ग्रसनी सम्बन्धी रोगों के वाइरस एवं जीवाणुओं के वाहक होते हैं। ये विशेषतया गर्मी की ऋतु में व्यक्तियों में रोग फैलाते हैं।

धूआँ और वायु प्रदूषण :- स्वचालित यंत्र, ट्रक, बसें रेसाईघर में जलने वाले स्टोव और विशाल मात्रा में कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धूआँ शहर में एक गुम्बदनुमा आवरण बनाता है। रात्रि को वायु में तैरते कार्बन के कारण ठंडे होकर नमी का शोषण करते हैं और गुम्बद की उपरी सतह पर कुहरे का आवरण बनाते हैं। नमी के कारण भारी होकर ये कण नीचे की ओर आने लगते हैं। सर्दी की ऋतु में इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों में दमा सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं। (नवभारत टाइम्स, 2010)

तापीय प्रदूषण और वायु प्रदूषण :- वातावरण में तापक्रम की वृद्धि से तापीय प्रदूषण फैलता है। शहरों में इमारतों को बनाने वाली सामग्री उष्मा का अधिक शोषण कर गर्म हो जाती है जबकि गाँवों में मिट्टी के मकान उष्मा का शोषण कम करने के कारण ठंडे रहते हैं। वायु सीधे विकिरणों की तुलना में मकानों एवं भूमि की गर्म सतहों के सम्पर्क में आकर शीघ्र गर्म हो जाती है। शहरों में उष्मा कारखानों, स्वचालित यंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है। शहरों में वर्षा का पानी गटर व नालियों द्वारा शीघ्र बह कर चला जाता है और वातावरण अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। वायुमण्डल में पाये जाने वाले मिट्टी के कण भी सूर्य के विकिरणों को परावर्तित करके उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकते हैं।

यदि तापक्रम निरन्तर बढ़ता रहा तो ध्रुवीय प्रदेशों में हिमखण्डों के पिघलने का खतरा पैदा हो जायेगा जिससे सारी पृथ्वी अथाह जल राशि से ढक जायेगी और मानव का अस्तित्व सकट में पड़ जायेगा।

2. जल प्रदूषण

वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण की समस्या ने भी मनुष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल राशि से ढका हुआ है। ये जल सभी प्रकार की गदगी को आत्म-सात् कर लेता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जल को इतना अधिक दूषित कर देते हैं कि वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को इससे गंभीर सकट पैदा हो जाता है।

इस प्रदूषित जल द्वारा बहुत बार गंभीर दुर्घटनाएँ घट जाती हैं। कुछ समय पूर्व वारगल के निकट गोपालपुरा गाँव में एक पहरदार की अशिक्षित पत्नी द्वारा कुएँ में कीटनाशक दवा मिला देने से 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

डॉक्टर ए.एन. द्विवेदी और डॉक्टर टी.आर. द्वारा बम्बई रेल्वे स्टेशन के कुछ जलीय नमूनों का परीक्षण करने पर पाया गया कि उनमें

आधुनिक प्रदूषण

से कुछ में हैजा फैलाने वाले जीवाणु मौजूद थे। कलकता में भी प्रदूषित जल द्वारा हैजा फैलता है।

जलीय जीव अपने श्वसन के लिये जल में घुलनशील ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन प्रदूषित जल में अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन होती है वांछित ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिये मछलियाँ तेज गति से श्वसन करती हैं जिससे कितने ही दूषित पदार्थ उनके शरीर में चले जाते हैं।

जल प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहितमल और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना है। नाभिकीय हथियारों के जल में परीक्षण करने से भी जल प्रदूषण फैलता है।

वर्तमान में भारत की 70 प्रतिशत नदियाँ और जल स्रोत प्रदूषण का शिकार बने हुए हैं।

वर्षा के जल के साथ-साथ गंदगी नदियों में प्रवेश करती हैं जिससे यह दूषित पदार्थों का संग्रहालय बन जाता है। एक सर्वेक्षण द्वारा यह पाया गया कि 16 वर्ष की तुलना में आज नदियाँ और झीलें 6 गुना अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं।

तेल और जल प्रदूषण :- महासागरों में तेल प्रदूषण फैलाने वाला मुख्य पदार्थ है। सागर में पाये जाने वाले पक्षियों पर तलीय जल का प्रभाव आसानी से दृष्टिगोचर होता है। तैलीय जल से पक्षियों के पंख चिपचिपे हो जाते हैं जिससे पक्षी आसानी से उड़ नहीं पाते हैं। यह तेल समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानों से रिस-रिस कर पानी में मिलता रहता है।

यह तेल पक्षियों के पंखों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राकृतिक उष्णिय अवरोधन क्षमता को नष्ट कर देता है और पक्षी ठंड से ठिठुरने लगते हैं। कभी-कभी अधिक ठंड के कारण पक्षी निमोनिया का शिकार होकर मर जाते हैं। अकेली टोरी केनाइन दुर्घटना में विभिन्न जातियों के दस लाख पक्षी मारे गये। जब समुद्र में घाटनों से तेल निकालने के लिये डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है तो ये डिटर्जेंट घाटनों के चारों ओर एक मोटी तह बना लेते हैं। तेल की तुलना में ये अधिक विषैले होने के कारण बहुत सी समुद्री घासों, मोलस्का के प्राणियों और विशाल केंकड़ों को नष्ट कर देते हैं।

पेस्टीसाइड्स, कीटनाशक पदार्थ और जल प्रदूषण :- विभिन्न पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आटा, तेल, तरकारियां, फल, दूध, मक्खन, मछली एवं गोशत के विश्लेषण से यह पाया गया कि इन पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पेस्टीसाइड्स मिले होते हैं। शाक-तरकारियों एवं गेहूँ में डी.डी.टी. और बी.एच.सी. पाउडर की मात्रा पाई जाती है।

दो प्रकार के पेस्टीसाइड्स पाये जाते हैं। प्रथम प्रकार के पेस्टीसाइड्स बहुत अधिक विषैले होते हैं लेकिन इनका प्रभाव अस्थायी होता है। यह शरीर के किसी अंग विशेष पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरी प्रकार के पेस्टीसाइड्स अपेक्षाकृत कम विषैले होते हैं लेकिन इनका प्रभाव स्थायी होता है। ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं।

फसलों को कीटों से नष्ट होने से बचाने के लिये और अधिक उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार की कीटनाशक औषधियाँ एवं

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों में अधिक सान्द्रित हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जलीय जीवों में प्रवेश करते हैं। एक परीक्षण में D.D.T. का प्रतिशत वितरण इस प्रकार प्राप्त हुआ-

S. No.	Place	D.D.T. (PPM)
1.	नदियाँ	0.000005
2.	सगर	0.00004
3.	जूप्लक्टॉन	0.04
4.	समुद्री केंकड़े	0.16
5.	नीडल फिश	2.00
6.	हेरिंग गल	76.50

यह जैविक संचय (Bio-Accumulation) बहुत सी कार्यात्मक सम्बन्धी अनियमितताओं (Physiological disorders) को उत्पन्न करते हैं। ऐसा पाया गया है कि प्रत्येक भारतीय अपने भोजन के साथ प्रायः 0.266 mg. D.D.T की मात्रा ग्रहण करता है।

आई.टी.आर.सी. लखनऊ ने बताया कि डी.डी.टी. की शेष मात्रा रुधिर परिसंचरण द्वारा गर्भाशय में पहुँचकर वहाँ विकसित होते हुए भ्रूण को प्रभावित करती है। माता के दूध में तथा प्रसव के समय स्त्री योनि से निकले में भी डी.डी.टी. की मात्रा पाई गई।

आई.टी.आर.सी. ने चेतावनी दी है कि भोजन में डी.डी.टी. की मात्रा के कारण यकृत सम्बन्धी, हृदय सम्बन्धी, कैंसर और भ्रूण की बनावट सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। डी.डी.टी. के कारण गर्भवती महिलाओं में शिशु के परिपक्व होने से पूर्व प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जिससे गर्भपात हो जाता है। अनेक एलर्जी एवं आतों से सम्बन्धी रोग भी डी.डी.टी. के कारण उत्पन्न होते हैं।

हैदराबाद के 82 प्रतिशत अंगूर के नमूनों में मेलेथीन पेराथाइन और मिथाइल पेराथाइन पाया गया।

कीटों को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के विषैले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फलों के वृक्षों पर छिड़के जाने वाला आर्सनिक निकोटाइन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न रोगों को जन्म देता है। (बर्लिन, 2017-18)

भारी धातु और प्रदूषण :- अनुज्ञापक के रूप में प्रयुक्त किये गये कुछ तत्वों से यह जानकारी मिली कि ये जलीय जीवों के लिये बड़े विषैले होते हैं। भोजन श्रृंखला द्वारा ये भारी धातु मनुष्य तक पहुँच जाते हैं और उसे रोग ग्रस्त कर देते हैं।

बी.ए.आर.सी. (बम्बई) द्वारा गुजरात में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के रुधिर एवं मूत्र का परीक्षण किया गया। परीक्षण से उनके रुधिर एवं मूत्र में जस्ता, मैंगनीज, सीसा, कोबाल्ट और निकल की उपस्थिति का पता चला।

आई.टी.आर.सी. लखनऊ ने बताया कि कुएँ के पानी में मैंगनीज की मात्रा सामान्य पानी की तुलना में तीन गुनी अधिक होती है। मैंगनीज युक्त ये पानी तंत्रिका सम्बन्धी अनेकों विकार उत्पन्न

करता है। सूरसागर झील बड़ोदा की अवसादी चट्टानों में सीसे एवं कैडमियम की मात्रा पाई गई। कूक नदी के आसपास चरने वाले मवेशियों के दूध में पारे की मात्रा पाई गई।

राजस्थान में जल प्रदूषण :- राजस्थान में पाली जिले की बांदी नदी में टैक्सटाइल फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। छपाई के कारखानों का वाहितमल भी इस नदी के पानी में मिलता है। जोधपुर में रंगाई और छपाई के कारखाने इस शहर के प्राकृतिक व कृत्रिम जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। मरुस्थल के किनारे बसे पाली और बालोत्रा जिले में टैक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो नदियों के जल को दूषित कर देते हैं। जंगली जानवरों द्वारा जब नदी का यह पानी उपयोग में लिया जाता है तो उनमें अनेक भयकर रोग फैल जाते हैं। जल में इन पदार्थों की उपस्थिति के कारण कई बार प्रवासी पक्षियों के आने पर भी प्रतिबन्ध लग जाता है।

उदयपुर शहर की पिछोला झील भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्रदूषण का शिकार बनी हुई है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी द्वारा द्रवीय अवशिष्ट पदार्थों को स्थानीय नदी में प्रवाहित किया जाता है जिससे जल की गुणवत्ता का क्षय होता है।

3. ध्वनि प्रदूषण

शोर प्रदूषण भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बड़ा घातक है। अधिक शोर मानसिक विकृति, तंत्रिकीय विकार उत्पन्न करता है। शोर का मापन डेसिबल में किया जाता है। सामान्य बातचीत का शोर 20-30 डेसिबल तक होता है 120 डेसिबल से अधिक मात्रा वाला शोर बहरेपन, मानसिक तनाव और रुधिर दाब में वृद्धि करता है। इससे कई तरह के हृदय रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव छोटे बालकों पर बहुत अधिक होता है।

4. रेडियो धर्मी प्रदूषण

परमाणु विस्फोट द्वारा वातावरण में रेडियोधर्मिता फैलती है। वैज्ञानिक कार्यों के पश्चात् बचे अवशिष्ट पदार्थों, चिकित्सालय के अवशिष्ट पदार्थों और न्यूक्लीयर पावर स्टेशन द्वारा जल को उडा करने की प्रक्रिया के दौरान रेडियोधर्मिता फैलती है।

यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे देश इन दिनों नाभिकीय अवशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति से चिंतित हैं।

इन रेडियो एक्टिव विकिरणों द्वारा अनेको व्यक्ति विकलांग हो जाते हैं। गुण सूत्रों पर उप-स्थित जीनों में भी इन विकिरणों द्वारा अनेक परिवर्तन हो जाते हैं।

5. ठोस अवशिष्टों द्वारा प्रदूषण


सामान्यतया सड़क पर कागज, फटे पुराने जूते, कूड़ा करकट, कांच की बोतल के टुकड़े, प्लास्टिक, तार और अन्य लोहे के पदार्थ लापरवाही के साथ फेंक दिये जाते हैं। ये गंदगी मच्छरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करती है। शहर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य इन पदार्थों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। (रमेश चन्द्र 2018)

प्रदूषण रोकने के उपाय

प्रदूषण को रोकना अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग परमावश्यक है। उद्योगपतियों को कारखानों का वाहित मल पूर्व-उपचार के पश्चात् ही नदियों के जल में डालना चाहिए, प्रति प्रदूषण नियमों को लागू करना चाहिए, नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें प्रदूषण से फैलने वाले रोगों की जानकारी देनी चाहिए। बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जैसे 'यूनिट स्टेट्स इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी' प्राकृतिक विज्ञान और सस्यार के वैज्ञानिकों को प्रदूषण रोकने के प्रयत्न करने चाहिए।

प्रदूषण रोकने के लिए निम्न उपाय अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं :-

- (1) समुन्द्र में परमाणु बम परीक्षण को रोकना चाहिए। क्योंकि इससे समुद्र के जीव-जन्तु जैसे मछलियाँ कंकड़े आदि में रेडियोधर्मिता फैलती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये कल मनुष्य तक पहुँच कर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों उत्पन्न करते हैं।
- (2) वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बनडाईऑक्साइड का सतुलन बनाये रखने के लिए अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिये। पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और वातावरण में कार्बन-डाईऑक्साइड की सान्द्रता को घटाते हैं।
- (3) कारखानों में अवक्षेपण के लिए शोधक और अवक्षेपक का इस्तेमाल करना चाहिए।
- (4) कारखानों में सल्फरडाईऑक्साइड के बनने को रोकने के लिए कोक, प्राकृतिक गैसों एवं सीर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए।
- (5) अकार्बनिक खाद के स्थान पर कार्बनिक खाद के उपयोग को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- (6) कीटनाशक दवाओं के स्थान पर इन कीटों को खाने वाले परजीवियों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ हार्मोन्स का उपयोग करके भी हानिकारक कीटों के जीवन-चक्र को रोका जा सकता है। यदि कीटनाशक औषधियों का उपयोग आवश्यक भी हो तो एक सीमा में ही उसका उपयोग करना चाहिए।
- (7) ठोस अपशिष्टों को भूमि में गहराई तक दफना देना चाहिए।
- (8) औद्योगिक अपशिष्टों को पानी में डालने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं में बदल देना चाहिए। जैसे नारियल के बचे भागों से कागज जूट के बचे पदार्थ से Hard Board बनाये जा सकते हैं।
- (9) वाहितमल (Sewage) का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है :-



(10) कुछ नयी विधियां भी प्रदूषण को रोकने के लिये खोजी गई हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

- अ. वाहितमल को एल्युमीनियम द्वारा शुद्ध करने का तरीका खोजा गया है। चूने का पानी और द्रव कॉच को वाहितमल में मिलाकर CO₂ गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में प्राप्त एल्युमीनियम को दुबारा प्रयोग में लिया जा सकता है।
- ब. एक प्रयोग में यह पाया गया कि दूषित पानी में पाया जाने वाला फूलदार पौधा (Water Hyacinth) 77 प्रतिशत सीसा चौबीस घंटे में हटाता है। ये पौधा कुछ भारी धातुओं जैसे कैडमियमनिकल, कोमियम, जस्ता, तांबा और लोहे का अवशोषण करता है जो कि मनुष्य के लिये घातक है।

इस प्रकार आज जनसंख्या, प्रदूषण एवं गरीबी मानव के लिये अभिशाप बने हुए हैं। आज विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है। हमारी वायु, जल और पृथ्वी प्रदूषित हो चुके हैं। ये प्रदूषण कायिक सम्बन्धी, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारात्मक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। अधिकांशतया प्रदूषण मानवीय त्रुटियों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं अतः इसके निवारण में भी उसे सामयिक कदम उठाना चाहिए। (डि.आर. रवि, 2018)

सन्दर्भ

1. एकलव्य।
2. बोर्ड शिक्षक पत्रिका।
3. नवभारत टाइम्स (2010)।
4. विज्ञान प्रगति
5. द लिटिल ग्रीन डाटा बुक, द वर्ल्ड बैंक, 2010
6. सिंह महेश प्रसाद, सिंह जे.के., मोहंका रीना 2007
7. बर्लिन, 2017-18 - सिटेड इन डेविड बले लार्ज।
8. CO₂ इमिशन फ़ोम फ़्युल कोम्ब्युशंसन हाईलाइट्स, 2011।
9. रमेश चन्द्र एण्ड, डि.आर. रवि, (2018) इनवारमेन्टल ईशु, ली एण्ड टेक्नोलोजि- एन इण्डियन परसेप्टिव,।

□□□

नई शिक्षा नीति में डिजिटल स्वरूप लेती हिन्दी एवं सम्भावनाएं

श्रवण कुमार शर्मा¹, नीलम शर्मा²

¹विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान सहायक, आर एन टी पी जी कॉलेज कपासन, चित्तौड़गढ़
²शिक्षिका, हिन्दी विभाग विवेकानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्देरीया, चित्तौड़गढ़

एक अनुमान के अनुसार "यदि इसी तरह पेड़ काटे जाते रहे और नए पेड़ नहीं लगाए गए तो अगले 10-15 वर्षों के बाद हमारे पास पढ़ने-लिखने के लिए कागज नहीं होगा।" यदि यह अनुमान सही हो जाए तो हमारी अगली पीढ़ी की पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी। यदि ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो जिस गति से कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उसमें 10-15 वर्षों के बाद हमारे पढ़ने-लिखने की व्यवस्था में कम्प्यूटर का क्या योगदान होगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में डिजिटल माध्यमों के जोड़े जाने हेतु हमें प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल शिक्षण (Digital Teaching) और डिजिटल अधिगम (Digital Learning) जैसी प्रणालियाँ आज चल पड़ी हैं। भविष्य में उन्हीं समाजों और उन्हीं भाषाओं का अस्तित्व रहेगा जो डिजिटल माध्यमों से अपने-आप को जोड़ सकेंगे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हिन्दी को वर्तमान ग्लोबल जगत में मजबूती से स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल हिन्दी पर भी हिन्दी के शोधकर्ताओं और विद्वानों द्वारा कार्य किया जाए।

डिजिटल हिन्दी एक व्यापक सकल्पना है। इसमें मुख्य रूप से चार बातों को रखा जा सकता है— डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिन्दी सामग्री का विकास, डिजिटल कार्यक्रमों या सॉफ्टवेयरों द्वारा हिन्दी शिक्षण डिजिटल हिन्दी माध्यम से अन्य विषयों का शिक्षण और हिन्दी के भाषिक सॉफ्टवेयरों का विकास। प्रस्तुत शोध-आलेख में इन पर संक्षेप में चर्चा की जा रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिन्दी सामग्री का विकास

यह डिजिटल हिन्दी का प्राथमिक स्तर या पक्ष है। इसका संबंध किसी भाषा को डिजिटल करने, से लेकर उसको डिजिटल स्तर पर सम्पन्न करने से है, जिसका तात्पर्य है डिजिटल रूप में अर्थात् कम्प्यूटर में उस भाषा की सामग्री का अधिक-से-अधिक विकास करना। यह दो रूपों में किया जा सकता है— ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे सामग्री ऑनलाइन हो तो उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार सी.डी. या डी.वी.डी. आदि माध्यमों से ऑफलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। आज इस दिशा में हिन्दी के लिए अनेकानेक कार्य हो रहे हैं। ये कार्य ऑनलाइन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका विश्व में कहीं भी और कभी भी उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टल, कोश आदि किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसी यह पाठ, चित्र, ऑडियो, विडियो आदि में से किसी भी प्रकार की सामग्री हो सकती है।

इस दृष्टि से हिन्दी बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है जो दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के <http://www.hindisamay.com/> को देखा जा सकता है, जिसमें हिन्दी के प्रमुख साहित्यकारों की रचनाओं की सामग्री लगभग पाँच लाख पृष्ठों में उपलब्ध है और आगे भी कार्य निरंतर जारी है। हिन्दी के विविध रचनाकारों को इसमें वर्णानुक्रम में उनके नाम के अनुसार खोजा जा सकता है, अथवा हिन्दी साहित्य के विविध क्षेत्रों के लिए दिए गए टैगों को क्लिक करके भी आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सकती है—



डिजिटल कार्यक्रमों या सॉफ्टवेयरों द्वारा हिन्दी शिक्षण

हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ हमारी संपर्क भाषा भी है। यह विश्वभाषा बनने की ओर भी प्रयत्नशील है। आज देश-विदेश में हिन्दी सीखने वालों की भरमार है। उन सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना हिन्दी के शिक्षण प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है। अभी तक यह सामग्री पाठ्य-पुस्तकों या ई-टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध हो सकी है। डिजिटल हिन्दी के अतर्गत हिन्दी को एक भाषा के रूप में सीखने वाले सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के रूप में हिन्दी की भाषिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस कार्यक्रम को डिजिटल हिन्दी शिक्षण नाम दिया जा सकता है। इसे दो आधारों पर देखा जा सकता है—

1. भाषाक्षेत्र के आधार पर: इस दृष्टि से डिजिटल हिन्दी शिक्षण के तीन प्रकार किए जा सकते हैं—

हिन्दीभाषी क्षेत्र . हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण के लिए एकभाषिक सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन

सॉफ्टवेयरों में हिन्दी शिक्षण की सामग्री भी होगी और माध्यम भी।

हिन्दीतर भारतीय भाषा क्षेत्र : इसका तात्पर्य उन भारतीय क्षेत्रों से है जिनकी मातृभाषा या प्रथम भाषा हिन्दी नहीं है। इन क्षेत्रों में शिक्षण की सामग्री तो हिन्दी होगी, किंतु माध्यम संबंधित क्षेत्र की मातृभाषा या प्रथम भाषा होगी। अतः शिक्षण संबंधी निर्देश और अन्य बातें विद्यार्थियों की अपनी भाषा में होंगी, शिक्षण सामग्री हिन्दी होगी। आवश्यकतानुसार उसे भी द्विभाषी किया जा सकेगा।

अन्य देश : भारत के बाहर जिस देश के भी लोग हिन्दी सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें उनकी भाषा में हिन्दी शिक्षण की सामग्री सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः इसमें माध्यम के रूप में विदेशी भाषाएँ रहेंगी।

2. **शैक्षिक स्तर के आधार पर :** इस दृष्टि से भी डिजिटल हिन्दी शिक्षण के तीन प्रकार किए जा सकते हैं—

प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक किया जाने वाला शिक्षण इसके अंतर्गत आएगा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने की पर्याप्त आवश्यकता रहती है, क्योंकि ऑडियो-विजुअल सामग्री और एनिमेशन आदि के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली तथा मनोरंजक बनाया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा : माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा-6 से कक्षा-12 तक के शिक्षण से है। इस स्तर पर भी हिन्दी की सामग्री को डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर सॉफ्टवेयर द्वारा शिक्षण किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा : इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों समाहित हैं। जैसे-जैसे हम उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्लेषणात्मक सामग्री की आवश्यकता बढ़ने लगती है। अतः इस स्तर पर विश्लेषणात्मक और गंभीर सामग्री के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोचता है, ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुछ बिल्कुल नए प्रश्न उठ सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्नोत्तर का माध्यम भी होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी विभिन्न विद्वानों और विषय-विशेषज्ञों के साथ अपने प्रश्नों को साझा करके समुचित उत्तर प्राप्त कर सकें।

डिजिटल हिन्दी के माध्यम से अन्य विषयों का शिक्षण

डिजिटल हिन्दी में केवल डिजिटल स्तर पर हिन्दी का शिक्षण ही नहीं है, बल्कि हिन्दी माध्यम में अन्य विषयों का शिक्षण भी इसमें सम्मिलित है। आरंभ में प्राथमिक स्तर पर एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सभी विषयों को रखा जा सकता है। बाद में सामग्री बढ़ने के कारण सभी विषयों के अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनाकर कक्षा आधारित पैक बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल हिन्दी : 10 एक पैक हो सकता है, जिसमें कक्षा-10 के लिए

आवश्यक और पढाए जाने वाले सभी विषयों के अलग-अलग सॉफ्टवेयर एक साथ दिए गए हों। इसी प्रकार अन्य कक्षाओं हेतु सामग्री के पैक भी बनाए जा सकते हैं।

हिन्दी के भाषिक सॉफ्टवेयरों का विकास

यह हिन्दी को डिजिटल स्तर पर ले जाने की उच्चतम अवस्था है। इसका सबंध हिन्दी के लिए और हिन्दी से संबंधित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयरों के विकास से है। ये सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार हैं। इन्हें निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है—

1. **टंकण और फॉन्ट:** इनका मुख्य सबंध कम्प्यूटर पर हिन्दी माध्यम से टंकण करने और उसका किसी भी कम्प्यूटर पर प्रयोग करने से है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—
 - (क) फॉन्ट डिजाइनिंग
 - (ख) फॉन्ट परिवर्तन
 - (ग) यूनिकोड तकनीक आदि।
2. **शोधन:** यहाँ शोधन से तात्पर्य है— किसी टंकित पाठ में आवश्यक सुधार करना। यह सुधार विराम-चिह्न, वर्तनी, मानक प्रयोग और व्याकरण आदि में होने वाली त्रुटियों के सबंध में हो सकता है। अतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों से जुड़े सॉफ्टवेयर आते हैं—
 - (क) विराम चिह्न सामान्यीकरण सबंधी प्रणाली ऐसे सॉफ्टवेयर जो विराम-चिह्न सबंधी त्रुटियों में सुधार करते हैं।
 - (ख) वर्तनी परीक्षण प्रणाली—वर्तनी जाँचक ऐसे सॉफ्टवेयर जो वर्तनी सबंधी त्रुटियों की पहचान करते हैं और सुझाव प्रस्तुत करते हैं।
 - (ग) मानक प्रयोग सबंधी प्रणाली किसी भाषा में लेखन में मानक और अमानक और प्रयोग होने की स्थिति में अमानक प्रयोगों को मानक में परिवर्तित करने वाले सॉफ्टवेयर इस वर्ग में आएँगे।
 - (घ) व्याकरण परीक्षण प्रणाली—व्याकरण जाँचक व्याकरण सबंधी त्रुटियाँ होने पर उनका परीक्षण कर सुधार प्रस्तुत करने वाले सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं।
3. **हिन्दी का भाषिक अनुप्रयोग :** इसका सबंध हिन्दी के भाषायी ज्ञान को मशीन में स्थापित करने से है, जहाँ हिन्दी के सभी भाषिक स्तरों— ध्वनि, शब्द, पदबंध, वाक्य से संबंधित विश्लेषण से संबंधित नियम दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं—
 - (क) इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश (Electronic Lexicon) : इसमें मशीन में और मशीन के लिए बनाए गए शब्दकोश (lexicon) आते हैं। ये शब्दकोश एकभाषी, द्विभाषी अथवा बहुभाषी हो सकते हैं।

- (ख) रूप विश्लेषक (Morph Generator) : ऐसे सॉफ्टवेयर जो पदों (वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों) का रूपमिक विश्लेषण करते हैं।
- (ग) रूप प्रजनक (Morph Analyzer) : ऐसे सॉफ्टवेयर जो शब्दों से पदों (वाक्य में प्रयुक्त होने वाले रूपों) का प्रजनन करते हैं।
- (घ) टैगर (Tagger) : ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पाठ के प्रत्येक शब्द के साथ उसके टैग से संबंधित सूचनाएँ जोड़ देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं— संदर्भ-मुक्त और संदर्भ-युक्त।
- (ङ) टोकनाइजर (Tokenizer) : यह प्रत्येक पद (शब्द) या पद (शब्द) स्तरीय इकाई को चिह्नित करने की प्रणाली है।
- (च) पदबंध चिह्नक (Phrase Marker) : किसी वाक्य के पदबंधों को उनके संरचनात्मक और व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर चिह्नित करने वाले सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं।
- (छ) चंकर (Chuncker) : यह भी एक प्रकार्य को संपन्न करने वाले शब्दघट समूहों को चिह्नित करने वाली प्रणाली है।
- (ज) पार्सर (Parser) : किसी वाक्य के सभी घटकों को उनकी रचना के अनुसार विश्लेषित करने वाली प्रणाली पार्सर है, जो सभी इकाइयों के बीच रैखिक और अधिक्रमिक संबंधों को व्यक्त करती है।
4. कार्पस संबंधी प्रणालियाँ: आज भाषा संबंधी संगणकीय उपकरणों के निर्माण में कार्पस का विशेष महत्व है। अतः कार्पस निर्माण, अनुसंधान (maintenance) एवं कार्पस आधारित संसाधन हेतु प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आएँगे। उदाहरण के लिए इस प्रकार के कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर शब्द आवृत्ति गणक (Word Frequency Counter) संदर्भ में शब्द प्राप्तकर्ता (Key Word in Context Finder)

कॉनकॉर्डेंस प्रोग्राम, कार्पस, लाइनर, शब्द-गुच्छ प्राप्तकर्ता (Word Clusters Finder) आदि हैं।

डिजिटल हिंदी : संभावनाएँ

वास्तव में डिजिटल हिंदी एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर तरह से हिंदी को अनुप्रयोग और संसाधन हेतु सक्षम बनाना है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का यदि अर्थ और प्रोक्ति स्तर पर भी विश्लेषण कर लिया जाता है, तो मशीन को हिंदी में तर्क करने और निर्णय लेने में भी सक्षम बनाया जा सकेगा। यदि संभव हो पाता है तो हिंदी माध्यम के रोबोट भी विकसित किए जा सकेंगे। यद्यपि इसके लिए शब्दकोशीय स्तर पर एक संरचित निरूपण की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हो सका है। किंतु अगले 5-10 वर्षों में निश्चय ही इस दिशा में कोई-न-कोई उल्लेखनीय कार्य आ जाएगा।

इस प्रकार संक्षेप में, डिजिटल हिंदी के अंतर्गत कंप्यूटर में हिंदी माध्यम से और हिंदी से संबंधित डाटा को उपलब्ध कराने से लेकर मशीन को हिंदी में तर्क करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाने तक के सभी कार्य आ जाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री उपलब्ध कराना इस दृष्टि से प्राथमिक स्तर का कार्य है। आज यह कार्य पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। सॉफ्टवेयर द्वारा हिंदी शिक्षण को डिजिटल हिंदी शिक्षण नाम दिया जा सकता है। अभी इस दिशा में काम आरंभ हुए हैं। इसी प्रकार भाषिक सॉफ्टवेयरों के निर्माण का कार्य भी विविध स्तरों पर चल रहा है। संरचित निरूपण और तार्किक संजाल निर्माण के क्षेत्र में अभी बहुत अधिक कार्य किए जाने की संभावना है।

संदर्भ

1. भाषाविज्ञान का सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं तकनीकी पक्ष (2011)
2. सी-शार्प प्रोग्रामिंग एवं हिंदी के भाषिक टूल्स (2012)
3. कार्पस भाषाविज्ञान (2014)
4. हिंदी का कंप्यूटेशनल व्याकरण

□□□

आधुनिकता के दर्पण में खोता हुआ बचपन

यासमीन

रविन्द्रनाथ टैगोर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपासन

बचपन एक ऐसी उम्र होती है, जब बगैर किसी तनाव के मस्ती से जिदगी का आनन्द लिया जाता है। नन्हे होठों पर फूलों से खिलती हँसी, वह मुस्कुराहट वह शरारत वह रूठना, मनाना, जिद पर अड जाना यह सब बचपन की पहचान होती है, सच कहें तो बचपन ही वह वक्त होता है, जब हम दुनियादारी के झमेलों से दूर अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। परंतु आज बच्चों का वह बेखौफ बचपन कहीं खो गया है। आज मुस्कुराहट के बजाय उनके चेहरे पर उदासी व तनाव का आलम छाया रहता है। प्रस्तुत लेख में बचपन की सरलता का वर्णन किया है साथ ही उनके चेहरों पर जो उदासी छायी है उनके पीछे छिपे कारणों का भी उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना

बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर समाज की एक रचना है। इतिहासकार फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेचुरी ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को उठाया है। इस विषय को कनिधम द्वारा अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड में आगे बढ़ाया गया, जो मध्यकाल में बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डालता है, जिसे वे विश्व युद्ध के बाद के 1950, 1960 तथा 1970 तक की अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं।

बचपन बच्चे के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बचपन प्रायः जन्म के बाद तब शुरू होता है जब बच्चा शिशु अवस्था में अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित होने लगता है वह सर्वप्रथम अपनी मां को पहचानने लगता है, हसने लगता है स्पर्श करने लगता है वस्तुओं को पहचानने लगता है।

प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अपने संदर्भ होते हैं, जिसमें बचपन के अनुभवों का अपना एक विशेष स्थान होता है बचपन व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष्य के अनुरूप विशिष्ट होते हैं। अलग-अलग समाज व संस्कृतियों में बच्चों को भिन्न-भिन्न रूपों में समझा जाता है।

जब बचपन परवान चढ़ता है अर्थात् जब शिशु बोलना चलना सीख जाता है, तब उसका अगला कदम लोगों, जीव-जंतु तथा वातावरण से संपर्क हेतु तीव्र हो जाता है यह तीनों शिशु के मस्तिष्क के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उसमें संस्कार, संस्कृति, व्यवहार और प्रतिभा की उत्पत्ति करते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से अलग प्रवृत्ति का होता चला जाता है। उसमें मस्तिष्क का विकास चारों दिशाओं में जाकर किसी एक प्रतिभा का चुनाव करने लगता है। इसी बचपन की अवस्था में यह कहा जाता है कि 'पुत्र के पाव पालने में नजर आने लगते हैं' अर्थात् उसमें एक विशेष प्रतिभा का उदय होने लगता है।

बचपन में की गई बाल सुलभ गतिविधियाँ विभिन्न क्रियाएँ खेल शरारतें आदि बचपन का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में उभर जाती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह प्यारा बचपन पुनः लौट आए।

परंतु आधुनिकता के दर्पण में वर्तमान में ना वह शरारतें हैं न गतिविधियाँ, न क्रियाएँ हैं जो प्राचीन मध्यकाल में थी। आज हर कोई अपनी इच्छाओं को थोपने लगे है। माता-पिता की इच्छा हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि बने। वे यह नहीं जानना चाहते कि बच्चे में क्या प्रतिभा है प्रतिभा के अनुरूप बच्चा अच्छा जीवन बना सकता है लेकिन माता पिता की इच्छाओं ने बच्चों का बचपन बिगाड़ दिया है इसके अतिरिक्त कंप्यूटर मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। और इन्हें बीमार बना दिया है। आधुनिकता एक सोच है एक विचार है जो व्यक्ति को इस दुनिया के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, परंतु आधुनिकता के इस दौर में बच्चों का बचपन खो रहा है। आधुनिकता पूर्ण रूप से मानसिक प्रक्रिया है मन ही अपने अनुसार परंपरा एव आधुनिकता की परिपाटी बनाता है जब मन यह प्रक्रिया पूर्ण करता है तो मनुष्य उसके अनुरूप कार्य करने लग जाती है।

बचपन एक ऐसी उम्र होती है, जब बगैर किसी तनाव के मस्ती से जिदगी का आनन्द लिया जाता है। नन्हे होठों पर फूलों सी खिलती हँसी, वो मुस्कुराहट, वो शरारत, रूठना, मनाना, जिद पर अड जाना ये सब बचपन की पहचान होती है। सच कहें तो बचपन ही वह वक्त होता है, जब हम दुनियादारी के झमेलों से दूर अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं।

क्या कभी आपने सोचा है कि आज आपके बच्चों का वो बेखौफ बचपन कहीं खो गया है? आज मुस्कुराहट के बजाय इन नन्हे चेहरों पर उदासी व तनाव क्यों छाया रहता है? अपनी छोटी सी उम्र में पापा और दादा के कधों की सवारी करने वाले बच्चे आज कधों पर भारी बस्ता टाँगे बच्चों से खचाखच भरी स्कूल बस की सवारी करते हैं।

छोटी सी उम्र में ही इन नन्हों को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है और इसी प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें स्वयं को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है। इसी बेहतरी व प्रतिस्पर्धा की कश्मकश में बच्चों का बचपन कहीं खो सा जाता है।

इस पर भी माँ-बाप उन्हें गिल्ली-डंडे, लड्डू, कैरम व बेट-बॉल की जगह वीडियोगेम थमा देते हैं, जो उनके स्वभाव को और अधिक उग्र बना देते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि दिनभर वीडियोगेम

से चिपके रहने वाले बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा चिड़चिड़ापन व गुस्सैल प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।

आजकल होने वाले रियलिटी शो भी बच्चों के कोमल मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा रहे हैं। नन्हे बच्चे जिन पर पहले से ही पढ़ाई का तनाव रहता है। उसके बाद कॉम्पीटिशन में जीत का दबाव इन बच्चों को कम उम्र में ही बड़ा व गंभीर बना देता है। अब उन्हें अपने बचपन का हर साथी अपना प्रतिस्पर्धी नजर आता है, जिसका बुरा से बुरा करने को वे हरदम तैयार रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एनिमिनेशन के द्वारा बच्चों को प्रतियोगिता से अचानक उठाकर बाहर कर देना उनके कोमल मन पर क्या प्रभाव डालता होगा? नौकरीपेशा माता-पिता के लिए अपने बच्चों को दिनभर व्यस्त रखना या किसी के भरोसे छोड़ना एक फायदे का सौदा होता है क्योंकि उनके पास तो अपने बच्चों के लिए खाली वक्त ही नहीं होता है इसलिए वे बच्चों के बचपन को छीनकर उन्हें स्कूल, ट्यूशन, डांस क्लासेस, वीडियोगेम आदि में व्यस्त रखते हैं, जिससे कि बच्चा घर के अंदर दुबककर अपना बचपन ही भूल जाए। बाहर की हवा, बाग-बगीचे, दोस्तों के साथ मौज-मस्ती यह सब क्या होता है, उन्हें नहीं पता। हॉ नया वीडियोगेम कौन सा है या कौन सी नई एक्शन मूवी आई है, ये इन बच्चों को बखूबी पता होता है। पढ़ाई-लिखाई अपनी जगह है, आज के दौर में उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है परंतु बच्चों का बचपन भी दोबारा लौटकर नहीं आता है। कम से कम इस उम्र में तो आप उन्हें खुलकर जीने दें और उन्हें बचपन का पूरा लुफ्त उठाने दें।

बचपन गुजर जाने के बाद उसे लौटाया नहीं जा सकता मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने यह गजल बरसों पहले गाई थी जिसे आज भी सुनकर हमें अपना बचपन याद आता है -

यह दौलत भी ले लो यह शोहरत भी ले लो,
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी,
मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन,
वह कागज की कश्ती वो बारिश का पानी।।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में विवरणात्मक शोध प्रविधि के माध्यम से मैंने आधुनिकता के दर्पण में खो रहा है बचपन को समझने एवं समझाने का प्रयास किया गया है क्योंकि किसी के बारे में जानना है तो उसकी अवधारणा स्पष्ट और प्रक्रिया को जानना अनंत आवश्यक है।

विचार विमर्श

प्रस्तुत शोध पत्र उन तमाम मसलों को उजागर करता है जो आधुनिकता को है लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का शिकार है। आधुनिकता को अपनाने में उसकी प्रसंगिकता तथा समाज को उसकी अभूतपूर्व देन क्या है समाज को वह कहा तक मददगार है बचपन की बदलती शक्ल में अब मासूमियत और अल्हडपन खोता जा रहा है। रोजाना टीवी और अखबारों पर प्रतिभाओं का उदय होने की जानकारी तो मिलती है पर कई घटनाएँ बुद्धिजीवी वर्ग

को जक-जोर देती है मासूम के मन में अब आधुनिकता अगड़ाई ले रही है।

इन सबके बाद यह सोचनीय है कि अब बचपन क्या कहा है? गलियाँ सुनसान हैं और मैदान जितने भी बचे हैं, वे वीरान हैं। दरअसल गलियों में धमा-चौकड़ी करने वाला बचपन आज इंटरनेट के मकडजाल में फसता जा रहा है। यही कारण है कि बच्चों को अपने होमवर्क के बाद जो समय मिल रहा है, उसे वे सोशल साइट्स व गेम्स खेलने में गवा रहे हैं, इसके कारण उनकी आखों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा वे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं।

हाल ही में ब्लू व्हेल नामक एक मोबाइल गेम के कारण भारत में एक के बाद एक बच्चों द्वारा आत्महत्या करने की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि बच्चों को कभी भी अभिभावकों ने मैदान में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया ही नहीं। कभी मैदान में खेलें जाने वाले खेलों के प्रति उनकी जिज्ञासा उत्पन्न करने की कोशिश की ही नहीं। इसका कारण धनोपार्जन की अधी दौड़ में अभिभावकों का अपने बच्चों व परिवार से कट जाना है।

कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। चंचलता, मासूमियत, भोलापन, सादगी व सच कहने की गजब शक्ति बच्चों में होती है लेकिन आज उसी निर्भीक बचपन को आधुनिकता की नजर लग गई है। यहाँ फिर अभिभावकों की बच्चों को शीघ्र बड़ा बनाने की तलब ने कहीं न कहीं उनके बचपन को छीनने का प्रयास किया है। अगर यही स्थिति रही तो फिर बचपन और बुढ़ापे में क्या अंतर रह जाएगा? हमें इन समस्याओं को लेकर गंभीरतापूर्वक चिंतन-मनन व मथन करने की महती आवश्यकता है।

आज आधुनिकता की आड में कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसकी अभिव्यक्ति करना शायद सभव भी ना हो सके जब बचपन याद आता है तो हम चोरियों खेल और शरारती का इतिहास मन को मन के किसी कोने से निकलकर आखों के सामने तैरने लगता है बदलते दौर में क्या हम अपना ही पुराना बचपन कहीं दिखता है आधुनिकता ने बचपन पर पिछले दशक में काफी अतिक्रमण कर लिया है और समाज के बीच मुन्ना गुड्डू राम शाम को बदल लिया है। इनके हिसाब से बचपन ने भी अपना रूप बदल लिया है।

सन्दर्भ

1. मैकमिलन डिक्शनरी फॉर स्टूडेंट्स मैकमिलन, पैन लिमिटेड (1981), पृष्ठ 173
2. मर्लिन गार्डनर (2006), क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 29 जून
3. स्टीनबर्ग, शर्ली आर और जो एल किन्वेलो किडरकल्चर द कॉर्पोरेट कस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड वेस्टव्यू प्रेस इक, 2004
4. यू.एस विल्ड्रन एंड टीन्स स्पेंड मोर टाइम ऑन एकडेमिक्स Archived 2 जुलाई 2007

□□□

RNT (Ravindra Nath Tagore) P.G. College

Kapasan, Chittorgarh (Raj.)

Email : rntkapasan1@gmail.com